bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2081 युगाब्द 5126 कुल पृष्ठ - 44, जनवरी द्वितीय संविधान गौरव विशेषांक 2025, वर्ष-36 : अंक-12

वर्तमान

कमल ज्योति

"बाबा साहब" संविधान गौरव विशेषांक

₹20

गौरव अभियान

वर्तमान

कमल ज्योति

संरक्षक

श्री भूपेन्द्र सिंह

सम्पादक

अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक

राजकुमार

प्रकाशक

प्रो0 श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक

ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग

लखनऊ – 1

फोन :– 0522–2200187

फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org

bjpkamaljyoti

Vartman Kamaljyoti

@bjpkamaljyoti

वन्दे मातरम्,
सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम्,
शस्यशामलां मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं,
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं,
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं,
सुखदां वरदां मातरम्,
वन्दे मातरम्।।

स्वर्णिम भारत का पुण्य पाथेय

सम्पादकीय

भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए पर आज भी देश में संविधान चर्चा का विषय बना हुआ है लोकसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष दोनों भारतीय संविधान को लेकर के जनता के बीच गए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संविधान को सरमाथे लगाते हुए ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' बनाने के संकल्प के साथ देश सेवा संकल्प की बात दोहराते थे तो दूसरी तरफ विपक्ष जनता के बीच भारतीय संविधान को समाप्त करने की बात करता था। एक वितंडावाद की बहस चल रही थी, बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जिसमें सर्वपंथ समादर की बात हुई है। भारतीय संविधान भारत की आत्मा है। इस संविधान को अंबेडकर साहब की टीम ने सोच समझकर भारतीय संस्कृति को देखते हुए बनाया था, जिसमें 'रामराज्य' की कल्पना की गई थी। लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान 50 वर्षों में संविधान को तोड़ने का ही प्रयास किया है। 356 धारा का दुरुपयोग, इमरजेंसी, धर्मनिरपेक्ष और वक्फ बोर्ड कहीं भी संविधान के अंग नहीं थे। पर कांग्रेस अपने वोट को साधने के लिए संविधान को अपने जरूरत के अनुसार तोङा,मरोड़ा और ठीकरा भाजपा पर फोङती है। कहती है कि भाजपा संविधान बदल देगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा संविधान का सम्मान करती है। भाजपा की संयुक्त सरकार के समय बाबा साहब को ''भारत रत्न'' भी दिया गया। आज भाजपा उनके जन्मस्थली को और यादगार बनाते हुए पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। आजादी के समय सरदार बल्लभ भाई पटेल ने 565 रजवाड़ों को मिलाकर एक भारत गणराज्य का स्वरूप दिया। इसमें राम राज्य की कल्पना करते हुए संविधान में बाबा साहब ने भगवान राम, सीता और राम राज्य की तस्वीर लगाई। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी लोकसभा के केंद्रीय कक्ष में भी बाबा साहब की फोटो लगने नहीं दिया।

आज देश के सभी लोगों को इस देश मे राजनैतिक अराजकता के साथ राजनीति करने नीति को नकारना पड़ेगा। स्वर्णिम भारत मे अपनी भूमिका को निभाना होगा। जिससे समृद्ध भारत, सशक्त भारत का निर्माण हो सके।

राजकुमार

bjpkamaljyoti@gmail.com https://up.bjp.org/kamal-jyoti

आपातकाल : लोकतंत्र का गला घोंटा गया

आपातकाल लगाया गया था, संवैधानिक व्यवस्थाओं को नष्ट कर दिया गया था, देश को जेल में बदल दिया गया था, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया था। लोकतंत्र का गला घोंटा गया और संविधान निर्माताओं के बलिदानों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई।

संविधान के प्रति विशेष सम्मान

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्र ने 26 नवंबर, 2000 को संविधान की 50वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री के रूप में अटल वाजपेयी जी ने एकता, जनभागीदारी और भागीदारी महत्व पर बल देते हुए राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था। श्री वाजपेयी के प्रयासों का उद्देश्य संविधान की भावना को जीना और जनता को जागृत करना था।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात में संविधान की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इतिहास में पहली बार संविधान को हाथी पर विशेष व्यवस्था के साथ रखा गया और संविधान गौरव यात्रा निकाली गई। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का बहुत महत्व है और आज, जब इसके 75 वर्ष पूरे हो गए, उन्होंने लोकसभा में एक घटना को याद किया जिसमें एक वरिष्ठ नेता ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया था, यह देखते हुए कि 26 जनवरी पहले से ही मौजूद है।

हर किसी की अपनी–अपनी मजबूरियां हैं, विभिन्न रूपों में उनकी अपनी विफलताएं थीं, कइयों ने अपनी विफलताओं को प्रकट भी किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर होता कि चर्चा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित पर केन्द्रित होती, जिससे नई पीढ़ी समृद्ध होती।

श्री मोदी ने संविधान के प्रति विशेष सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि यह संविधान की भावना ही थी, जिसने उनके जैसे कई लोगों को वहां तक पहुंचने में सक्षम बनाया जहां वे आज हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिना किसी पृष्ठभूमि के यह संविधान का सामर्थ्य और लोगों का आशीर्वाद ही था, जिसने उन्हें यहां पहुंचाया। समान परिस्थितियों में कई व्यक्ति संविधान के कारण महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे हैं। यह बड़ा सौभाग्य है कि देश ने एक बार नहीं बल्कि तीन बार अपार विश्वास दिखाया है। संविधान के बिना यह संभव नहीं होता।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला

1947 से 1952 तक भारत में कोई निर्वाचित सरकार नहीं थी, बल्कि एक अस्थायी, चयनित सरकार थी और कोई चुनाव नहीं हुए थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1952 से पहले राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था और राज्यों में भी चुनाव नहीं हुए थे, जिसका अर्थ हुआ कि लोगों की ओर से कोई जनादेश नहीं था। इसके बावजूद 1951 में बिना किसी निर्वाचित सरकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करते हुए संविधान में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था।

यह संविधान निर्माताओं का अपमान है, क्योंकि ऐसे मामलों का संविधान सभा में समाधान नहीं हुआ था। जब अवसर मिला, तो उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार किया, जो संविधान के निर्माताओं का गंभीर अपमान था। जो संविधान सभा में हासिल नहीं किया जा सका, उसे एक गैर–निर्वाचित प्रधानमंत्री ने पिछले दरवाजे से कर दिया, जोकि पाप था।

1971 में न्यायपालिका के पंख कतरकर संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था। अदालतों की शक्तियों को खत्म करते हुए उक्त संशोधन में कहा गया कि संसद न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान के किसी भी अनुच्छेद को बदल सकती है। इससे तत्कालीन सरकार को मौलिक अधिकारों में कटौती करने और न्यायपालिका को नियंत्रित करने में मदद मिली।

आपातकाल के दौरान संविधान का दुरुपयोग किया गया और लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1975 में 39वां संशोधन पारित किया गया था, ताकि किसी भी अदालत को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभाध्यक्ष के चुनावों को चुनौती देने से रोका जा सके और इसे पिछले कार्यों को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था।

आपातकाल के दौरान लोगों के अधिकार छीन लिए गए, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका का विचार पूरी तरह से लागू किया गया है। न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना, जिन्होंने एक अदालती मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाया था, को उनकी वरिष्ठता के बावजूद भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन था।

आपातकाल के दौरान लोगों के अधिकार छीन लिए गए, हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया।

शाहबानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को याद करते हुए जिसने एक भारतीय महिला को संविधान की गरिमा और भावना के आधार पर न्याय प्रदान किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने एक बुजुर्ग महिला को उसका उचित हक दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान का सार की बलि चढ़ाते हुए इस भावना को त्याग दिया। संसद ने एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए एक कानून पारित किया।

इतिहास में पहली बार संविधान को गहरी चोट पहुंचाई गई। संविधान निर्माताओं ने एक निर्वाचित सरकार और प्रधानमंत्री की कल्पना की थी। हालांकि, एक गैर–संवैधानिक इकाई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्, जिसने कोई शपथ नहीं ली, को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से ऊपर रखा गया था। इस इकाई को पीएमओ से ऊपर एक अनौपचारिक दर्जा दिया गया था।

भारतीय संविधान के तहत, लोग सरकार चुनते हैं और उस सरकार का प्रमुख मंत्रिमंडल बनाता है। उस घटना को याद करते हुए जब कैबिनेट द्वारा लिए गए एक निर्णय को संविधान का अनादर करने वाले अहंकारी व्यक्तियों ने पत्रकारों के सामने फाड़ दिया था, ये लोग आदतन संविधान के साथ खिलवाड़ करते थे और इसका सम्मान नहीं करते थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि तत्कालीन कैबिनेट ने अपना निर्णय बदल दिया।

संविधान के प्राथमिक संरक्षक संसद को दरकिनार कर दिया गया और देश पर अनुच्छेद 35ए थोप दिया गया, जिससे जम्मू एवं कश्मीर में स्थिति खराब हो गई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह संसद को अंधेरे में रखकर राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर के प्रति सम्मान

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अगले 10 वर्षों तक न तो यह काम शुरू किया गया और न ही इसकी अनुमति दी गई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तो डॉ. अम्बेडकर के प्रति सम्मान दिखाते हुए उन्होंने अलीपुर रोड पर डॉ. अम्बेडकर स्मारक का निर्माण किया और काम पूरा किया।

इस बात को याद करते हुए कि 1992 में श्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में जनपथ के पास अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, यह परियोजना 40 वर्षों तक कागज पर ही रही और कार्यान्वित नहीं की गई। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2015 में जब उनकी सरकार सत्ता में आई, तभी काम पूरा हुआ। यहां तक कि डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को भारतरत्न देने का काम भी आजादी के काफी समय बाद हुआ।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती को वैश्विक स्तर पर 120 देशों में मनाया गया और डॉ. अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के दौरान डॉ. अम्बेडकर के जन्मस्थान महू में एक स्मारक का पुनर्निर्माण किया गया। समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध एक दूरदर्शी नेता के रूप में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की सराहना करते हुए डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि भारत के विकास के लिए देश के किसी भी हिस्से को दुर्बल नहीं रहना चाहिए। इस चिंता के कारण आरक्षण प्रणाली की स्थापना हुई। वोट बैंक की राजनीति में लगे लोगों ने आरक्षण प्रणाली के भीतर धार्मिक तुष्टीकरण की आड़ में विभिन्न उपायों को लागू करने का प्रयास किया, जिससे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित

जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों को काफी नुकसान हुआ।

पिछली सरकारों ने आरक्षण का कड़ा विरोध किया पिछली सरकारों ने आरक्षण का कड़ा विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भारत में समानता और संतुलित विकास के लिए आरक्षण की शुरुआत की। मंडल आयोग की रिपोर्ट को दशकों तक लटकाया गया, जिससे ओबीसी के लिए आरक्षण में देरी हुई। प्रधानमंत्री ने कहा अनुच्छेद 35ए को संसदीय मंजूरी के बिना लगाया गया।

अनुच्छेद 370 तो सर्वविदित है, लेकिन अनुच्छेद 35ए के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 35ए को संसदीय मंजूरी के बिना लगाया गया था। संसदीय मंजूरी की मांग की जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री ने कि यदि आरक्षण पहले दिया गया होता, तो आज कई ओबीसी व्यक्ति विभिन्न पदों पर आसीन होते।

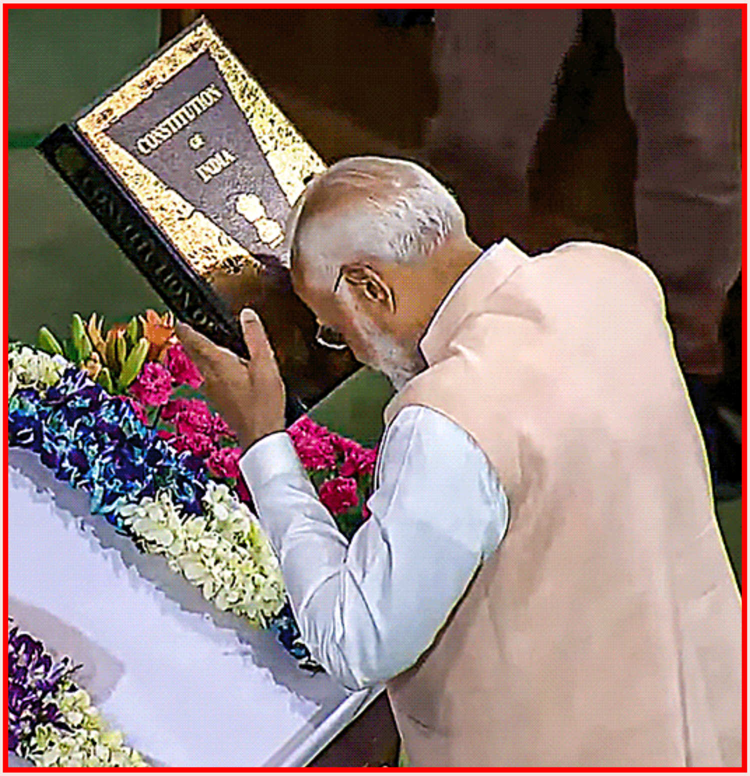

संविधान के निर्माण के दौरान आरक्षण को धर्म पर आधारित होना चाहिए या नहीं, इस पर हुई व्यापक चर्चा का जिक्र करते हुए संविधान निर्माताओं ने निष्कर्ष निकाला कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म या समुदाय के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है। यह एक सोच–समझकर लिया गया फैसला था, कोई भूल नहीं। पिछली सरकारों ने धर्म के आधार पर आरक्षण की शुरुआत की, जो संविधान को भावना के खिलाफ है। कुछ कार्यान्वयन के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे उपायों को रद्द कर दिया है। यह स्पष्ट है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का इरादा है, जो संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक बेशर्म प्रयास है।

डॉ. अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता की हिमायत की थी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में चर्चा करते हुए जिसे संविधान सभा ने अनदेखा नहीं किया, संविधान सभा ने यूसीसी पर व्यापक चर्चा की और फैसला किया कि निर्वाचित सरकार के लिए इसे लागू करना सबसे अच्छा होगा। यह संविधान सभा का निर्देश था। डॉ. अम्बेडकर ने यूसीसी की हिमायत की थी और उनके कथनों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने धर्म पर आधारित पर्सनल लॉ को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की थी। संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी को उद्धृत करते हुए जिन्होंने कहा था कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) राष्ट्रीय एकता और आधुनिकता के लिए आवश्यक है, सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार यूसीसी की आवश्यकता पर जोर दिया है और सरकारों को इसे जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान की भावना और इसके निर्माताओं के इरादों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की स्थापना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अटलजी ने सौदेबाजी का विकल्प नहीं चुना

अतीत की एक घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि जो लोग अपनी ही पार्टी के संविधान का सम्मान नहीं करते वे देश के संविधान का सम्मान कैसे कर सकते हैं। 1996 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और राष्ट्रपति ने संविधान का सम्मान करते हुए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि, वह सरकार केवल 13 दिनों तक चली क्योंकि उन्होंने संविधान का सम्मान करना चुना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सौदेबाजी का विकल्प नहीं चुना,

बल्कि संविधान का सम्मान किया और 13 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। 1998 में एनडीए सरकार को अस्थिरता का सामना करना पड़ा, लेकिन संविधान की भावना के प्रति समर्पित वाजपेयी सरकार ने असंवैधानिक पदों को स्वीकार करने के बजाय एक वोट से हारना और इस्तीफा देना पसंद किया।

देशहित में संवैधानिक संशोधन

2014 के बाद एनडीए को सेवा करने का अवसर मिला। संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश को पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए एक अभियान चलाया गया। पिछले 10 वर्षों के दौरान उन्होंने देश की एकता एवं अखंडता के लिए इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ संवैधानिक संशोधन भी किए हैं। ओबीसी समुदाय तीन दशकों से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहा था। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने यह दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया और ऐसा करने में उन्हें गर्व महसूस हुआ। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों के साथ खड़ा होना उनका कर्तव्य है, यही वजह है कि संवैधानिक संशोधन किया गया।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि समाज का एक बड़ा वर्ग, चाहे जाति कोई भी हो, गरीबी के कारण अवसरों तक पहुंचने वंचित रह जाता है और प्रगति नहीं कर पाता। इससे असंतोष बढ़ रहा था और मांगों के बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया था। उन्होंने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह देश में पहला आरक्षण संशोधन था जिसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, सभी ने प्यार से स्वीकार किया और संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने भी संवैधानिक संशोधन किए हैं, लेकिन ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए थे। उन्होंने देश की एकता के लिए संविधान में संशोधन किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 370 के कारण डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता था, जबकि सरकार चाहती थी कि डॉ. अम्बेडकर का संविधान भारत के हर हिस्से में लागू हो। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और डॉ. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए संविधान में संशोधन किया। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटा दिया और अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है।

अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संविधान में किए गए संशोधन का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने संकट के समय पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की देखभाल के लिए विभाजन के समय महात्मा गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए भी कानून बनाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने इस प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पेश किया और कहा कि वे गर्व से इस कानून का समर्थन करते हैं, क्योंकि यह संविधान की भावना के अनुरूप है और राष्ट्र को मजबूत करता है।

उनकी सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक संशोधनों का उद्देश्य पिछली गलतियों को सुधारना और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि समय बताएगा कि वे समय की कसौटी पर खरे उतरे या नहीं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये संशोधन सत्ता के स्वार्थ से प्रेरित नहीं थे, बल्कि देशहित में पुण्य के कार्य थे।

'संविधान' भारत के लोगों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील

इस बात को इंगित करते हुए कि संविधान के संबंध में कई भाषण दिए गए हैं और कई विषय उठाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी राजनीतिक प्रेरणा है, संविधान भारत के लोगों 'वी द पीपल' के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है और यह उनके हितों, गरिमा एवं कल्याण के लिए है। संविधान सभी नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करते हुए हमें एक कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन करता है।

गरिमा के साथ जीवन

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कई परिवारों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए शौचालय तक सुलभ नहीं था, शौचालय बनाने का अभियान गरीबों के लिए एक सपना था और उन्होंने इस काम को पूरे समर्पण के साथ हाथ में लिया।

देश में लाखों माताएं पारंपरिक स्टोव पर खाना बनाती हैं, जिसके धुएं से उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, जो सैकड़ों सिगरेट के धुएं को अंदर लेने के बराबर है। इससे न केवल उनकी आंखों पर असर पड़ा, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। आजादी के 70 वर्ष बाद भी 2013 तक चर्चा इस बात पर थी कि नौ या छह सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं, जबकि उनकी सरकार ने हर घर में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की, क्योंकि उन्होंने हर नागरिक को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दी।

भारतीय संविधान एक राष्ट्रीय ग्रंथ

लाल सिंह आर्य

भारतवर्ष का संविधान सभी को समानता और सम्मान का अधिकार देता है। संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट लिखा है– हम, भारत के लोग... यहां हम और भारत के लोग इन शब्दों में एकत्व की भावना का ज्ञान निहित है। वहीं आगे लिखा है– सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए अर्थात् उपयुक्त शब्द भारतवर्ष की विविधता संस्कृति में समरसता की भावना प्रकट करते हैं। यह उद्देशिका स्पष्ट करती है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बंधुता के बिना सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसलिए इन सब भावनाओं के साथ हम संविधान को अंगीकृत करते हैं। यह हमारा संविधान ही है जो भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक और अनेक आयामों पर विस्तार से प्रविधान करते हुए नागरिकों की शिक्षा, सुरक्षा एवं सम्मान को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान देश की जनता का सुरक्षा कवच है। यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार और कर्तव्यों की सीमाओं का संदेश देता है। यह जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रीयता आदि के भेदभाव से परे सबके लिए समान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जनहितों का सूक्ष्म अध्ययन–विश्लेषण करते हुए ऐसे प्रविधान किए हैं, जिन्हें सभी ने हृदय से स्वीकार किया है। अपने एक वक्तव्य में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि मसौदे में केवल प्रत्येक अनुच्छेद पर ही नहीं वरन् लगभग प्रत्येक वाक्य पर और कभी–कभी तो प्रत्येक अनुच्छेद के प्रत्येक शब्द पर हमें विचार करना पड़ा...। हमने एक लोकतंत्रात्मक संविधान तैयार किया है।

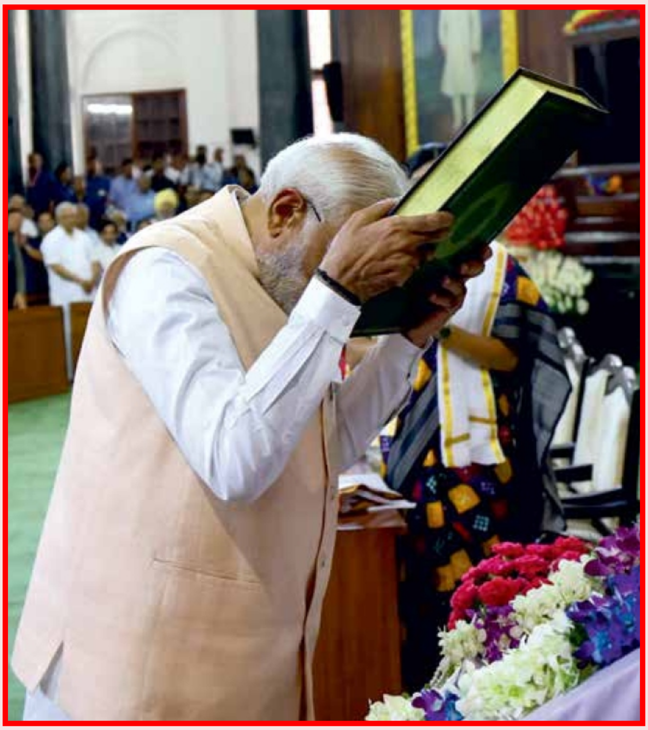

संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं, तब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे संविधान के मूल आधार को बदला या संशोधित किया जा रहा है? यदि बदला या संशोधित किया जा रहा है तो यह अधिकार किसको है? इसे किस परिस्थिति में बदला या संशोधन किया जा सकता है? संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था, तो क्या शरीर से आत्मा को हटाया जा सकता है? भारत एक देश है तो फिर 'एक देश, एक संविधान' लागू होना चाहिए या नहीं। क्या संविधान पर धर्म, जाति तथा दलों की इच्छाएं थोपी जा सकती हैं? ये ऐसे ज्वलंत प्रश्न है जिन पर आज विचार करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार निहित स्वार्थों के लिए कुछ लोग अथवा राजनीतिक दल जनता में संविधान को लेकर भ्रम और भय फैलाने का प्रयास करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि संविधान जाति, संप्रदाय, धार्मिक मान्यताओं आदि से परे है। संविधान में संशोधन की संसदीय प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया भी किसी व्यक्ति अथवा दल की इच्छा के अनुसार नहीं चलती, बल्कि संसद में चर्चा और पूरी प्रक्रिया के तहत ही होती है।

आजकल विपक्ष के नेता राहुल गांधी पवित्र संविधान को हाथ में लहराकर कि संविधान खत्म हो जाएगा, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आदि बातें कहकर दलितों व आदिवासियों को भड़काने का षड्यंत्र तो करते हैं। राहुल गांधी संविधान को पढ़ते नहीं हैं, उसकी भावना का आदर नहीं करते हैं। वे यह नहीं जानते कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान को अपने हृदय से लगाकर रखा। यदि राहुल गांधी संविधान का सम्मान करते, यदि वे बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर का सम्मान करते, यदि वे देश का सम्मान करते और संविधान को मानते तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पाकिस्तान जिंदाबाद के

नारे लगाने वालों से गले नहीं मिलते और दंगा भड़काने वालों की पैरवी भी नहीं करते, जम्मू–कश्मीर के अलगाववादियों से नहीं मिलते, गौ–हत्या करने वालों को कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं बनाते और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत करते। कांग्रेस की किया संविधान विरोधी कार्य प्रणाली से अब सब परिचित हो चुके हैं। कांग्रेस का इतिहास है कि इन्होंने जम्मू–कश्मीर में डॉ. अंबेडकर के मना करने के बाद भी धारा 370 लगाकर आदिवासियों का विधानसभा में आरक्षण खत्म करके, 1975 में बेवजह संविधान की आत्मा को कुचलकर देश में आपातकाल लगाने, 90 बार अनुच्छेद 356 लगाकर जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने, जम्मू–कश्मीर में वाल्मीकि समाज को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना आदि कांग्रेस की संविधान विरोधी मानसिकता को सिद्ध करता है।

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की तरफ देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि मोदी जी के लिए संविधान एक किताब नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसलिए उन्होंने संविधान व श्रद्धेय बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की भावना का आदर करते हुए जम्मू–कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक तरफ संविधान को 'एक देश, एक संविधान' बनाया वहीं दूसरी ओर आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की, 2015 से देश में प्रतिवर्ष शासकीय तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना प्रारंभ करके संविधान के प्रति अपने अटूट सम्मान को दर्शाया है। वे पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 'संविधान गौरव यात्रा' निकालकर, संविधान के प्रति अपनी पवित्र निष्ठा दिखा चुके थे।

विदित है कि कांग्रेस ने 80 बार संविधान में संशोधन किया और कई बार तो संशोधन जनहित में न होकर अपनी सत्ता बचाने के लिए किया, जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य कर दिया था। मोदी जी ने आठ बार संविधान संशोधन दलित, वंचित व पिछड़ों के हितों में किया और दो दिन तक संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा हुई।

कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को तो समय-समय पर कुचला ही, उसने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को भी नहीं छोड़ा। यह वही कांग्रेस है जिसने देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष करने वाले महामानव बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव हरवाया, मतगणना में बड़े स्तर पर घपला किया और डॉ. अंबेडकर को हराने वाले काजोलकर को पद्मभूषण से सम्मानित कर बाबा साहेब का अपमान किया।

कांग्रेस ने संविधान की आत्मा को तो समय–समय पर कुचला ही, उसने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को भी नहीं छोड़ा। यह वही कांग्रेस है जिसने देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष करने वाले महामानव बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव हरवाया, मतगणना में बड़े स्तर पर घपला किया और डॉ. अंबेडकर को हराने वाले काजोलकर को पद्मभूषण से सम्मानित कर बाबा साहेब का अपमान किया। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, संसद के केंद्रीय कक्ष में उनकी आदमकद तस्वीर नहीं लगाई, देशभर में उनके जीवन से जुड़े स्थलों पर राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाए, उनके नाम से किसी योजना का नाम नहीं रखा, और तो और अंतिम समय में दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि भी नसीब नहीं हुई। कांग्रेस के इन पापों से स्पष्ट होता है कि वह बाबा साहेब का राजनीतिक और सामाजिक जीवन समाप्त करना चाहती थी।

एक तरफ कांग्रेस की बाबा साहेब को अपमानित करने की गंदी मानसिकता रही, वहीं दूसरी ओर भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें अपना मार्गदर्शक माना और उनके सम्मान में जन्म–स्थान महू मध्य प्रदेश, संकल्प भूमि बड़ोदरा, दीक्षाभूमि नागपुर, परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली और चैत्य भूमि (अंतिम संस्कार स्थल) मुंबई में भव्य राष्ट्रीय स्मारकों का निर्माण कराया। इतना ही नहीं लंदन में पढ़ते समय जहां बाबा साहेब किराए के मकान में रहते थे उस मकान को खरीदकर शिक्षा भूमि बनाकर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा प्रकट की। 15 जनपद मार्ग दिल्ली में 192 करोड़ की लागत का श्रद्धेय डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन स्मारकों को ईट–गारे का भवन नहीं, बल्कि इन्हें पंचतीर्थ घोषित कर अपना श्रद्धाभाव प्रकट किया। बाबा साहेब

को भारत रत्न दिलाने में व देश की संसद में आदमकद चित्र लगवाने में श्रद्धेय अटल जी व आदरणीय आडवाणी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाबा साहेब चाहते थे कि देश की और उसे बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की समानता यह जाति, धर्म के लोगों का नहीं, बल्कि सभी गरीबों हो, यह संविधान में भी गया है, लेकिन कांग्रेस साल और प्रदेशों में लंबे रहने के बाद भी गरीब और वंचितों को उनके मौलिक अधिकार नहीं 2014 भारत के भाग्य उदय , महिलाओं व श्रमिकों की आशा लेकर आया और भारतीय राजनीति श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों मिली। पिछले 10 कांग्रेस मानसिकता संतों को किया, धाम में और दिया, सारनाथ तक खोल दिया, प्रदेश के सागर के मंदिर की में उनके जन्म उद्यान व 25 कर दी। मऊ एकता, अखंडता न्याय व अवसर व वंचितों के लिए उल्लिखित किया केंद्र में लगभग 55 समय तक सत्ता में दिला पाई। वर्ष और गरीबों, वंचितों में संकल्प के धनी देश की बागडोर वर्षों में आयुष्मान योजना, गरीबों को फ्री अनाज, उज्ज्वला व उजाला योजना, एक देश एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर शौचालय का योजनाओं ने एक आदिवासी, वांछित व अन्य गरीबों के विकास के रास्ते खोले तो दूसरी ओर उनका आर्थिक सशक्तीकरण किया। उच्चतम बार अनुसूचित जाति, जनजाति के जज की नियुक्ति, राष्ट्रपति पद पर श्री रामनाथ कोविंद जी और आदिवासी समाज द्रौपदी मुर्मु जी का बार चार प्रदेशों में राज्यपालों की नियुक्ति, दो प्रदेश मध्यप्रदेश व राजस्थान में उपमुख्यमंत्री व कर्नाटक और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बनाना, केंद्र सरकार में पहली बार 12 अनुसूचित जाति वह आठ अनुसूचित जनजाति के मंत्री बनाना, आजादी के बाद पहली बार रेलवे बोर्ड के पद पर अनुसूचित जाति व नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर आदिवासी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी की नियुक्ति करके संविधान और राजनीतिक, सामाजिक अवसर की समानता का सम्मान किया।

कांग्रेस ने परिवारवाद की संकुचित के चलते अन्य महापुरुषों व सम्मान देने का प्रयास भी नहीं लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रख कुशीनगर से बोधगया होते हुए काशी बुद्ध सर्किट बनाने का रास्ता 100 करोड़ की लागत से मध्य में संत शिरोमणि रविदास जी आधारशिला रख दी और काशी स्थान पर भव्य संत रविदास फुट की बड़ी प्रतिमा स्थापित इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम डॉ. अंबेडकर के नाम पर रखकर संविधान में उल्लिखित सामाजिक समानता का सम्मान किया, व्यक्ति और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे से बड़े नहीं होते, बल्कि अपनी सोच व ईमानदार प्रयासों से बड़े होते हैं। कांग्रेस ने अपनी संकुचित मानसिकता से अपने आप को बौना बना लिया, उसने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने आप को देश से बड़ा मानकर षड्यंत्र का घर बना लिया, इसलिए आज उनकी राजनीतिक दुकान बंद होने के कगार पर पहुंच गई है।

भाजपा का लक्ष्य है– अंत्योदय, व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा देश, इसी भावना से राजनीतिक स्वार्थ को अलग रखकर संघर्ष किया, सत्ता के शीर्ष स्थान पर बैठकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत में रहने वाले गरीबों, वंचितों का सशक्तीकरण, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों को ताकतवर बनाने के संकल्प को पूरा करने में दिन रात एक कर दिया। हाल ही में 'मन की बात' के 117वें प्रसारण में उन्होंने संविधान के विषय में कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वह समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है, संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है...। जब संकल्प पवित्र होता है तो लक्ष्य कितने भी कठिन हो प्राप्त होते ही हैं। तमाम नए–नए षड्यंत्र अपमानों के बीच अत्यंत गरीबी में पैदा हुए मोदी जी एक सफल योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हैं और आज उसी का परिणाम है कि वे विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता हैं। वे जब भी संसद में जाते हैं अथवा अन्य अनेक अवसरों पर संविधान सम्मत स्थानों, व्यक्तियों और संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं। उनके लिए संविधान एक पुस्तक भर नहीं है अपितु वह एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, जिसका वे सदैव प्राणपन से सम्मान करते हैं।

(लेखक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ : नरेन्द्र

पहली बार देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के साक्षी बनेंगे

प्र धानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 दिसंबर को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 117वीं कड़ी में कहा कि महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है। कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेक अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है।

श्री मोदी ने कहा कि कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हों, तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आयें। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। श्री मोदी ने कहा कि अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा... महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा...गंगा की अविरल धारा, न बंटे समाज हमारा।

डिजिटल महाकुंभ

श्री मोदी ने कहा कि इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आप अलग–अलग घाटों, मंदिरों और साधुओं के अखाड़ों तक पहुंच सकेंगे। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग स्थलों तक पहुंचने में भी मदद करेगा। कुंभ आयोजन में पहली बार एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई चैटबॉट के जरिए कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। कोई भी व्यक्ति इस चैटबॉट के माध्यम से टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे आज भारतीय संस्कृति की चमक दुनिया के कोने–कोने में फैल रही है। उन्होंने ताजमहल की एक शानदार पेंटिंग का जिक्र किया, जिसे मिस्र की एक 13 वर्षीय दिव्यांग लड़की ने अपने मुख से बनाया है। श्री मोदी ने बताया कि कुछ सप्ताह पहले मिस्र के लगभग 23 हजार छात्रों ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें उन्हें भारतीय संस्कृति और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती पेंटिंग बनानी थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी रचनात्मकता की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी।

मलेरिया के मामलों में 80 प्रतिशत की कमी

श्री मोदी ने मलेरिया और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये दोनों उपलब्धियां आज दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन–डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत में वर्ष 2015 और वर्ष 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या में 80 कुंभ में कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। प्रतिशत की कमी आई है। कैंसर के खिलाफ लड़ाई पर श्री मोदी ने विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लैंसेट के एक अध्ययन का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि भारत में समय पर कैंसर का इलाज शुरू होने की संभावना बहुत बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने कैंसर रोगियों को 30 दिनों के अंदर समय पर उपचार सुनिश्चित करने में 'आयुष्मान भारत योजना' की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना की वजह से 90 प्रतिशत कैंसर रोगी समय पर अपना इलाज शुरू कर पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले पैसे की कमी के कारण गरीब मरीज कैंसर की जांच और उसके इलाज से कतराते थे। अब 'आयुष्मान भारत योजना' उनके लिए बड़ा सहारा बन गई है। अब वे अपना इलाज कराने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने कैंसर के इलाज में आने वाली पैसों की परेशानी को काफी हद तक कम किया है।

श्री मोदी ने 'मन की बात' के अंत में कहा कि हमारा भारत, विविधता में एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो खेल का मैदान हो या विज्ञान का क्षेत्र, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमने एक परिवार की तरह मिलकर हर चुनौती का सामना किया और नई सफलताएं हासिल कीं।

भाजपा संविधान को सिर माथे पर लगाती है : राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह

हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे है। 75 वर्ष पहले संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य सम्पन्न किया गया था। लगभग 3 वर्षों की जोरदार बहस और विचार–विमर्श के परिणाम स्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही लोगों के लिए मोरल ट्रेजेक्टरी यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। हमारा संविधान सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने के साथ ही राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। यह संविधान नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का भी सिस्टम प्रदान करता है, जिससे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर सके। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित स्वाभिमान है।

हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित स्वाभिमान है। यह ऐतिहासिक घटनाक्रमों की श्रृंखला का परिणाम है। कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया। स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी वकालत की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। हमारा संविधान संवैधानिक तंत्र के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की
भावना के साथ काम कर रही है। मौजूदा सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है। हमारा संविधान प्रगतिशील, समावेशी और परिवर्तनकारी है। मौजूदा सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके **'भारत न्याय संहिता'**, 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' जैसे नये कानूनों को पारित किया है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के समुचित विकास को अपना लक्ष्य बनाया है।

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के हमारे संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप महिला और महिला नेतृत्व विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया है। इससे राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तथा उनका सशक्तीकरण भी सुनिश्चित होगा। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण का अवसर प्रदान किया गया है। सरकार ने संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में बखूबी लागू किया है।

संविधान के मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि

संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की भी सराहना करना चाहता हूं। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ श्रीमती इंदिरा गांधी ही 42वां संविधान संशोधन लेकर आईं थी जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर 6 साल कर दिया गया था। ऐसा इसी भय से किया था कि उस वक्त चुनाव होते तो वे हार जाते, इसीलिए लोकसभा के कार्यकाल को ही लंबा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ।

देश के अर्थतंत्र को लय में लाने के लिए जीएसटी को लागू किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये सरकार अपना पहला और 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई, 2017 को लाई जब देश के अर्थतंत्र को लय में लाने के लिए जीएसटी को लागू किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक फैले इस विशाल देश को जीएसटी के तहत लोगों की परेशानी को खत्म कर एक कानून लाने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने लोगों की भलाई के लिए किया।

विपक्ष ने 55 वर्ष में 77 संविधान संशोधन किया : अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि ये चर्चा एक ओर जनता को ये अहसास कराएगी कि संविधान के कारण हमारा देश कितना आगे बढ़ा और दूसरी ओर संविधान की मूल भावना के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होने का अहसास भी कराएगी। इसके साथ ही ये भी अहसास होता है कि जब संविधान की भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ का प्रयास करता है तो किस प्रकार की घटनाएं होती है। संविधान पर दोनों सदनों में हुई चर्चा हमारे किशोरों और युवा पीढ़ी के साथ–साथ संसद में बैठकर देश के भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए शिक्षाप्रद साबित होगी। श्री अमित शाह ने कहा कि हमारा संविधान, संविधान सभा और संविधान की रचना की प्रक्रिया दुनिया के सभी संविधानों में अनूठी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां दुनिया का सबसे ज़्यादा विस्तृत और लिखित संविधान, चर्चा के हमारे पारंपरिक लक्षणों के साथ बनाया गया है।

हमारे संविधान में भगवान राम, बुद्ध और महावीर, दसवें गुरू गोविंद सिंह के भी चित्र मिलेंगे। इसके साथ – साथ गुरुकुल के माध्यम से हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसका संदेश भी मिलता है। इसी प्रकार, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता के संदेश के चित्र, शिवाजी महाराज और लक्ष्मीबाई को भी संविधान में स्थान देकर देशभक्ति का पाठ हमें सिखाया गया है।

विपक्षी पार्टी ने 55 साल के अपने शासन में 77 संविधान परिवर्तन किए श्री शाह ने कहा कि हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया है और समय के साथ देश, कानून और समाज को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर ही अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि हमारी पार्टी ने 16 साल राज किया, 6 साल अटल जी ने, 10 साल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और 5 साल और प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 22 बार संविधान में परिवर्तन किए। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ने 55 साल के अपने शासन में 77 संविधान परिवर्तन किए। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहला संशोधन 18 जून, 1951 को हुआ जिसे संविधान सभा ने ही किया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन में 19ए को जोड़ा गया, इसका उद्देश्य क्या था और इसे किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी को बनतजंपस करने लिए किया गया। उन्होंने कहा कि ये संशोधन किसने किया, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था। पहला संविधान संशोधन अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए लाया गया था और इसे जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया था।

24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की पार्टी 5 नवंबर, 1971 को लाई थी। उन्होंने कहा कि 24वें संशोधन के माध्यम से संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया गया। 39वें संविधान संशोधन ने सभी सीमाओं को पार कर दिया। 10 अगस्त, 1975 का वह दिन हमारे संविधान के इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में दर्ज रहेगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अमान्य करार दिया था। इंदिरा जी ने संविधान संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये संविधान संशोधन retrospective effect से किया गया था, यानी पुराना मुकदमा भी है तो वह खारिज हो जाएगा।

संविधान समाज के समृद्धि का समग्र दस्तावेज : नड्डा

(भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 दिसंबर, 2024 को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा का भाषण।)

कुछ ही दिन बाद हम अपने गणतंत्र के के पूरे होते हुए 75 साल देखेंगे। यह उत्सव एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन यह प्रजातंत्र की जननी भी है। प्रजातंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल होती है। इससे आम नागरिक सम्मानजनक जीवन जी पाते हैं। संविधान की मूल प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप दिखती है। हम सबको उसमें कमल की भी छाप दिखती है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि हम कीचड़ में से निकलकर नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं।

हमारा संविधान भी उस कमल के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देता है कि हम तमाम मुसीबतों के बावजूद प्रजातंत्र को मजबूत करने में वोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनुच्छेद 370 के ही विरोध में उस समय के जनसंघ के संस्थापक ने आवाज उठाते हुए कहा कि एक देश में 'तो निशान, तो विधान और तो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 में धारा 35क लाई गई और संसद में कोई बहस किए बिना इस धारा को राष्ट्रपति की स्वीकृति की गई। भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए अनेक कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है।

जम्मू–कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया। उनको जम्मू–कश्मीर की नागरिकता तो दी गई, लेकिन उनको सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नैकी का अधिकार था। वे कुछ और नहीं कर सकते थे। इस तरह से आजाद भारत में कानून का उल्लंघन हो रहा था। मैं इस संसद वो धन्यवाद देता हूं कि उसने 5 अगस्त, 2019 वो अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और आज जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अभी अगले साल 25 जून को आपातकाल लगाए जाने के 50 साल हो जाएंगे, हम **'लोकतंत्र विरोधी दिवस'** मनाएंगे। हम आह्वान करते हैं कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो। आपातकाल इसलिए नहीं लगा कि देश को कोई खतरा था, बल्कि इसलिए लगा कि सत्ताधारी दल की सत्ता को खतरा था और इस कारण 25 जून, 1975 वो राष्ट्रपति की सम्मति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति कारण बताते हुए मूल अधिकारों, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया गया। आपातकाल के दौरान लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा और ही आईआर में 22–22 महीने के लिए बंटी हुए।

अल्पसंख्यक तुष्टीकरण

मैं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की भी बात करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी को प्रगतिशील बताया गया, लेकिन वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करने के लिए संसद में संशोधन ले आए। उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा था कि तीन तलाक समाप्त होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, जबकि कई इस्लामी देशों में भी तीन तलाक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोटी जी की दूर–दृष्टि और पक्के इरादे से तीन तलाक को समाप्त किया गया और मुस्लिम बहनों को मुख्यधारा में लाने का काम किया।

पं. नेहरू ने सीमा के बुनियादी ढांचे सहित रक्षा तैयारियों की उपेक्षा की कांग्रेस पार्टी ने न तो भू–क्षेत्रों को सौंपने के संदर्भ में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की है और न ही हमारे पड़ोस में भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का मुकाबला किया है। 1949 में हमारी बहादुर सेना ने युद्ध के मैदान में सफलता हासिल की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने युद्ध विराम स्वीकार किया था। यही कारण है कि आज भी 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' मौजूद है। सभा यह भी जानती है कि चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने उसे 5,180 वर्ग किलोमीटर का अवैध हस्तांतरण किया था। चीन ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि श्री जवाहरलाल नेहरू ने सीमा के बुनियादी ढांचे सहित रक्षा तैयारियों की उपेक्षा की और उन्हें कूटनीति की समझ नहीं थी।

जहां तक म्यांमार का सवाल है, 1950 के दशक में कोको द्वीप समूह पर हमारे नियंत्रण के हस्तांतरण की परिस्थितियां आज भी अस्पष्ट हैं। हमने 2008 से 2010 के बीच हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले घटनाक्रमों के बारे में लापरवाही का रिकॉर्ड भी देखा है। जब चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह बनाया, तब हम चुपचाप देखते रहे। मालदीव में 2012 में एक भारत विरोधी आंगेलन के कारण प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निवेश बाहर हो गया। इसका भी कांग्रेस ने हमेशा विरोध नहीं किया। एक द्वीप है कच्चारीवू से

1974 में श्रीलंका को सौंपे जाने से पहले तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इसे एकतरफा तौर पर श्रीलंका को दे दिया और यह हस्तांतरण भारत के संविधान में संशोधन किए बिना निष्पादित किया गया, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रश्न उठे।

इसी तरह, होनें देरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 16 मई, 1974 को भारत–बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। 1974 से 2015 तक कोई अनुसमर्थन नहीं हुआ था। 2015 में सरकार ने समझौते को अंतिम रूप दिया और क्षेत्रीय परिवर्तनों के अंतरराष्ट्रीय समझौते पर सहमति बनी और संसद द्वारा

इसका अनुसमर्थन किया गया। गेटी सरकार संघवाद का सम्मान करती है, इसीलिए केंद्र सरकार ने त्रिपुरा, असम, भेघालय और पश्चिमी बंगाल के साथ विचार–विमर्श किया और उनमें से प्रत्येक की सहमति लेने के बाद भूमि सीमा में लगभग 111 भारतीय इन्वलेव और भारत में 51 बांग्लादेशी इन्वलेव को पुनर्स्थापित किया गया और 50,000 की आबारी को समझौते के तहत लाया गया।

आप लोगें को जानना चाहिए कि संविधान सभा में जो लोग थे, जिन लोगें ने बाद में आकर देश को चलाया, उनके मन में आरक्षण के प्रति क्या भावना थी। संविधान में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से अंतर किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह अंतर क्यों किया ? उनके दिमाग में कुछ था। आज हम उस अंतर को क्यों खो चुके हैं? मैं आपसे सहमत हूं, वास्तविकता यह है कि इस देश में जाति का बहुत महत्व है। मैं इससे असहमत नहीं हूं। यदि हमारा लक्ष्य जातिविहीन समाज है, तो आपका हर बड़ा कदम ऐसा होना चाहिए जिससे आप जातिविहीन समाज की ओर बढ़े। जिन्होंने 55 साल राज किया, मैंने उनका मत आपके सामने रखा है। काका कालेलकर रिपोर्ट पर आप 22 साल तक बैठे रहे, लेकिन आपने आरक्षण के बारे में कुछ नहीं सोचा। मंडल आयोग कौन लेकर आया ? जनता पार्टी की सरकार इसे लेकर आई। राजीव गांधी जी ने तथ्यात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए और रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग की ग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन का विरोध किया था। ।। आपने पिछड़े वर्ग के साथ कितना अन्याय किया।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

अब अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं, तो अनुच्छेद 338ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेन्द्र गेटरी जी की सरकार द्वारा दिया गया। उसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके सामाजिक न्याय देने का काम किया गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय को आरक्षण भी नरेन्द्र गेटी जी की सरकार ने दिया। अगर में राजनीतिक न्याय की बात करूं, तो अनुच्छेद 370 वो समाप्त करके जम्मू कश्मीर को राजनीतिक न्याय देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया। जम्मू–कश्मीर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अधिकार देकर राजनीतिक न्याय देने का काम भी अनुच्छेद 370 को समाप्त करके हमारी सरकार द्वारा किया गया। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित करके महिलाओं को आंरक्षण देने का काम किया भी हमारी सरकार द्वारा ही किया गया। हमने ट्रिपल तलाक का उन्मूलन करके मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का प्रयास भी किया। अगर मैं आर्थिक न्याय की बात करूं, तो मुद्रा योजना, जन–धन खाते, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि के जरिए आर्थिक न्याय दिया गया। प्रधानमंत्री मेरी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत 61 करोड़ लोगें को 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा देना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

बाबा साहेब को कांग्रेस ने हमेशा किया अपमानित

डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने भारत के दलित, वंचित और पिछड़े समाज को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में उनका योगदान अतुलनीय है। लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व और योगदान को लेकर वो राजनीतिक खेल कांग्रेस के द्वारा दशकों से खेला जा रहा है, वह न केवल उनके आदर्शों का अपमान है बल्कि भारत के सामाजिक ताने–बाने को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।

इतिहास गवाह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर के रोगदान को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके लोकसभा चुनाव में जीतने के मार्ग में अनेक नैतिक–अनैतिक बाधाएं खड़ी वीं। यह कटु सत्य है कि नेहरू और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकरजी वो मुख्यधारा की राजनीति से अलग–थलग करने के लिए हरसंभव प्रयास किया।

इतना ही नहीं, गांधी–नेहरू परिवार ने स्वयं को भारत रत्न से विभूषित करवा लिया, लेकिन बाबा साहेब को यह सम्मान उनके जीवनकाल में या उसके बाद भी कई दशकों तक नहीं दिया गया। भाजपा समर्थित टीपी सिंह सरकार ने अंततः इस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया। यह कांग्रेस वी वैचारिक संकीर्णता और अवसरवाती राजनीति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। स्वयं को और अपने परिवार को सम्मानित करने वाली कांग्रेस ने बाबा साहेब जैसे महापुरुष वो उचित सम्मान देने में कोताही बरती।

कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु केवल सत्ता रही है। दलित और वंचित समाज को उन्होंने केवल एक 'वोट बैंक' के रूप में इस्तेमाल किया। बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थों के हिसाब से तोड़ा–मरोड़ा। गांधी–नेहरू परिवार ने बाबा साहेब के योगदान को धूमिल करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ की।

कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु केवल सत्ता रही है। दलित और वंचित समाज को उन्होंने केवल एक 'चोट बैंक' के रूप में इस्तेमाल किया। बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थों के हिसाब से तोड़ा–मोड़ा। गांधी–नेहरू परिवार ने बाबा साहेब के योगदान को धूमिल करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ की।

ऐसी विषम परिस्थितियों में जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने डॉ. अंबेडकर के प्रति सम्मान और समर्थन का परिचय दिया। उनके विचारों को आगे बढ़ाने और दलित समाज को सशक्त बनाने के लिए जनसंघ और आरएसएस ने निरंतर प्रयास किए। यह समर्थन केवल सांकेतिक नहीं था, बल्कि विचारधारा के स्तर पर बाबा साहेब के आदर्शों वो आत्मसात करने का प्रयास था। ऐसा उन्होंने कई बार बाबा साहेब के विचारों से सहमति ना रखते हुए भी किया।

कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु केवल सत्ता रही है। दलित और वंचित समाज को उन्होंने केवल एक 'वोट बैंक' के रूप में इस्तेमाल किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बाबा साहेब को उनके विराट व्यक्तित्व और अतुलनीय योगदान के अनुरूप सम्मान दिया है। 'पंच तीर्थ' का निर्माण– महू में जन्मस्थली, नागपुर दीक्षाभूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण– भूमि, लंदन में अंबेडकर हाउस और मुंबई में चैत्यभूमि–बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है। दिल्ली में अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और मुंबई में निर्माणाधीन बाबा साहेब की गगनचुंबी मूर्ति मोदी जी के उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है।

इसके अतिरिक्त, संविधान दिवस वो राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय, बाबा साहेब की स्मृतियों को जीवंत रखने का एक ऐतिहासिक कदम है। नरेंद्र गेटरी सरकार ने न केवल बाबा साहेब वो उचित सम्मान दिया, बल्कि दलित और वंचित समाज के उत्थान के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की। प्रधानमंत्री मेटी जी ने स्पष्ट किया है कि बाबा साहेब का सम्मान केवल औपचारिकताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को समाज के अंतिम व्यवित तक पहुंचाना चाहिए। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं– जैसे कि जन–धन योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना–दलित और वंचित समाज वो सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम हैं।

कांग्रेस और गांधी परिवार ने बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे नेता जब दलित समाज के बीच जाते हैं, तब उनके प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी का अभाव साफ झलकता है। उनकी राजनीति का मकसद केवल दलित वोट बैंक को सुरक्षित करना है, न कि समाज के वास्तविक उत्थान के लिए काम करना।

आज जब देश एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक बार फिर बाबा साहेब के नाम पर घृणा और भ्रम का वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान को तोड़–मरोड़ कर पेश करने की कांग्रेस की कोशिशें यह साबित करती हैं कि यह पार्टी देश में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक ताने–बाने को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करती। कांग्रेस का यह रवैया न केवल दलित समाज के लिए अपमानजनक है, बल्कि देश की अखंडता और शांति के लिए भी खतरा है।

आज जब देश एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक बार फिर बाबा साहेब के नाम पर घृणा और भ्रम का वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान वो तोड़–मरोड़ कर पेश करने की कांग्रेस वी कोशिशें यह साबित करती हैं कि यह पार्टी देश में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक ताने–बाने वो नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करती। कांग्रेस का यह रवैया न केवल दलित समाज के लिए अपमानजनक है, बल्कि देश की अखंडता और शांति के लिए भी खतरा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम और उसके समर्थक बुद्धिजीवी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि समाज में अस्थिरता बनी रहे। यह केवल राजनीतिक स्वार्थ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता में वापसी करना है, चाहे इसके लिए उन्हें देश की सामाजिक एकता और शांति वो दांव पर क्यों न लगाना पड़े। यह समय की मांग है कि कांग्रेस और गांधी परिवार की इस विभाजनकारी राजनीति पर स्थायी रोक लगाई जाए। देश को एकजुट रखने और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रों का पर्दाफाश आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोटरी के नेतृत्व में भारत आज बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात कर आगे बढ़ रहा है। दलित, वंचित और पिछड़े समाज के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे न केवल बाबा साहेब वो सच्ची श्रद्धांजलि हैं, बल्कि एक नए, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव भी हैं। अब समय आ गया है कि देश की जनता कांग्रेस और गांधी परिवार की इस घृणित राजनीति को पूरी तरह नकारे और राष्ट्रहित में एकजुट होकर आगे बढ़े। बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी साकार होगा, जब समाज में समानता, न्याय और सद्भावना का वातावरण स्थापित होगा।

(लेखक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद हैं।)

एक राष्ट्र, एक चुनाव

भारत का लोकतांत्रिक ढांचा अपनी जीवंत चुनावी प्रक्रिया के आधार पर फल–फूल रहा है और नागरिकों को हर स्तर पर शासन को सक्रिय रूप से आकार देने में सक्षम बनाता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के 400 से अधिक चुनावों ने निष्पक्षता और पारदर्शिता के प्रति भारत के चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। हालांकि, अलग–अलग और बार–बार होने वाले चुनावों की प्रकृति ने एक अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता पर चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा में रुचि फिर से जग गई है।

भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इस तरह की प्रणाली प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकती है, चुनाव संबंधी खर्चों को कम कर सकती है और नीति संबंधी निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है।

भारत में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके अनुकूल बनाने करने की आकांक्षाओं को देखते हुए **'एक राष्ट्र, एक चुनाव'** की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरी है, जिसके लिए गहन विचार–विमर्श और आम सहमति की आवश्यकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नई नहीं है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951–52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के तीन आम चुनावों के लिए भी जारी रही। हालांकि, कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी. फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि आपातकाल की घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कुछ ही, केवल आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभाएं अपना पांच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकीं। जबकि छठी, सातवीं, नौवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभाओं को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। विधानसभाओं को समय से पहले भंग किया जाना और कार्यकाल विस्तार बार–बार आने वाली चुनौतियां बन गए हैं। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यंत बाधित किया,

जिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है।

एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति

भारत सरकार ने 2 सितंबर, 2023 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना कितना उचित होगा। समिति ने इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मांगों और इस प्रस्तावित चुनावी सुधार से जुड़े संभावित लाभों और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। यह रिपोर्ट समिति के निष्कर्षों, संवैधानिक संशोधनों के लिए इसकी सिफारिशों और शासन, संसाधनों तथा जन–मानस पर एक साथ चुनाव के अपेक्षित प्रभाव का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करती है।

मुख्य निष्कर्ष

जनता की प्रतिक्रियाः समिति को 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 80% एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थीं। प्रतिक्रियाएं देश के सभी कोनों से आईं, जिनमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाएं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएंः 47 राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 15 दलों ने संभावित लोकतंत्र विरोधी प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने से जुड़ी चिंताएं व्यक्त कीं।

विशेषज्ञ परामर्शः समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और विधि–विशेषज्ञों से परामर्श किया। इनमें से अधिकाधिक लोगों ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया और बार–बार चुनाव कराने से संसाधनों की बर्बादी तथा सामाजिक–आर्थिक बाधाओं पर जोर दिया।

आर्थिक प्रभावः सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे व्यापारिक संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने बार बार चुनाव से जुड़ी समस्याओं और खर्च में कमी लाकर आर्थिक स्थिरता पर इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।

कानूनी और संवैधानिक विश्लेषणः समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82ए और 324ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें।

कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोणः समिति ने एक साथ चुनाव की व्यवस्था दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की है।

चरण 1: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना।

चरण 2: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना।

मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) एक साथ बनाने की प्रक्रियाः समिति ने राज्य चुनाव आयोगों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में उनकी अक्षमताओं को उजागर किया और सरकार के सभी तीन स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची और एकल ईपीआईसी बनाने की सिफारिश की। इससे दोहराव और त्रुटियों में कमी आएगी, मतदाता अधिकारों की रक्षा होगी।

बार–बार चुनाव के बारे में जन–भावनाः 8 जनता की प्रतिक्रियाओं से बार–बार चुनाव के नकारात्मक प्रभावों, जैसे मतदाताओं में थकावट और शासन में व्यवधान के बारे में उनकी महत्वपूर्ण चिंताओं का संकेत मिला। एक साथ चुनाव होने से इनमें कमी आने की उम्मीद है।

एक साथ चुनाव कराने का औचित्य

पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित निम्नांकित बिंदु द्रष्टव्य हैं।

शासन में निरंतरता को बढ़ावाः देश के विभिन्न भागों में चल रहे चुनावों के कारण, राजनीतिक दल, उनके नेता, विधायक तथा राज्य और केंद्र सरकारें अक्सर शासन को प्राथमिकता देने के बजाय आगामी चुनावों की तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने से सरकार का ध्यान विकासात्मक गतिविधियों और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा।

नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगीः चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से नियमित प्रशासनिक गतिविधियां और विकास संबंधी पहल बाधित होती हैं। यह व्यवधान न केवल महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में बाधा डालता है, बल्कि शासन

संबंधी अनिश्चितता को भी जन्म देता है। एक साथ चुनाव कराने से आचार संहिता के लंबे समय तक लागू होने की संभावना कम होगी, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी और शासन में निरंतरता संभव होगी।

संसाधनों को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा: चुनाव ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती, जैसेकि मतदान अधिकारी और सरकारी अधिकारियों को उनकी मूल जिम्मेदारियों से हटाकर चुनाव कार्यों में लगाना संसाधनों के उपयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से बार–बार तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे सरकारी अधिकारी और सरकारी संस्थाएं चुनाव–संबंधी कार्यों के बजाय अपनी प्राथमिक भूमिकाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी: एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम नहीं होती। वास्तव में यह चुनावों के दौरान उनकी अधिक स्थानीयकृत और केंद्रित भूमिका को प्रोत्साहित करता है। इससे क्षेत्रीय दल अपनी अहम चिंताओं और आकांक्षाओं को उजागर कर पाते हैं। यह व्यवस्था एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाती है जिसमें स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव अभियानों से प्रभावित नहीं होते, इस प्रकार क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने वालों की प्रासंगिकता बनी रहती है।

राजनीतिक अवसरों में वृद्धि: एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों में अवसरों और जिम्मेदारियों का न्यायोचित तरीके से आवंटन होता है। वर्तमान में किसी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का चुनावी परिदृश्य पर हावी होना, कई स्तरों पर चुनाव लड़ना और प्रमुख पदों पर एकाधिकार असामान्य नहीं है। एक साथ चुनाव के परिदृश्य में, विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच विविधता और समावेशिता की अधिक गुंजाइश होती है, जिससे नेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला उभर कर सामने आती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहम योगदान देती है।

शासन पर ध्यान: देश भर में चल रहे चुनावों का चल रहा चक्र सुशासन से ध्यान भटकाता है। राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव –संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे विकास और आवश्यक शासन के लिए कम समय बचता है। एक साथ चुनाव पार्टियों को मतदाताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करने की अनुमति देते हैं, जिससे संघर्ष और आक्रामक प्रचार की घटनाओं में कमी आती है।

वित्तीय बोझ में कमी: एक साथ चुनाव कराने से कई चुनाव चक्रों से जुड़े वित्तीय खर्च में काफी कमी आ सकती है। यह मॉडल प्रत्येक व्यक्तिगत चुनाव के लिए मानव–शक्ति, उपकरणों और सुरक्षा संबंधी संसाधनों की तैनाती से संबंधित व्यय को घटाता है।

इससे होने वाले आर्थिक लाभों में संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन शामिल हैं, जो आर्थिक विकास और निवेशकों के विश्वास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है।

बाबा साहेब और संविधान की उपेक्षा, कांग्रेस का चरित्र

डॉ0 गुरु प्रकाश पासवान

भारत का संविधान 26 जनकी 1950 वो लागू हुआ था और यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर भी साबित हुआ। हमारे देश के संविधान को इस तरह से तैयार किया गया था, कि यह न केवल देश के विभिन्न समाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्षों को ध्यान में रखे, बल्कि बदलते समय के साथ बदलते जरूरतों के अनुरूप खुद वो अद्यतन करने की क्षमता भी रखे। इसका मूल उद्देश्य हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की स्थापना करना था।

संविधान में संशोधन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान (अनुच्छेद 368) रखा गया था, ताकि तेजी से बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सके। इसका उद्देश्य केवल संविधान वो स्थायित्व देना और उसे बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बनाना था। हालाँकि, हमारे संविधान में संशोधन वी प्रक्रिया का प्रयोग एक आवश्यक और सकारात्मक कदम के रूप में किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई बार इस्तेमाल किया गया। भारत की आजाती के बाद, दशवों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने संविधान के संशोधन की शक्ति का उपयोग संविधान के आदर्श और मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए कम, और अपने राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता लोलुपता के लिए बड़ी मजबूती से किया। कांग्रेस के इस मनमाने रवैये ने न केवल हमारे देश के संविधान के मूल उद्देश्यों को कमजोर किया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती वो भी घोर संकट में डाल दिया।

कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किए गए कई संशोधनों, जिसकी संख्या लगभग सैकड़े के आस पास है, ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान वो राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर सिर्फ अपने फायदे के लिए बदलने की प्रवृत्ति थी।

कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किए गए कई संशोधनों, जिसकी संख्या लगभग सैकड़े के आस पास है, ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान वो राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर सिर्फ अपने फायदे के लिए बदलने की प्रवृत्ति थी। इन संशोधनों का उद्देश्य न केवल पार्टी और नेहरू परिवार के पारिवारिक हितों वो बढ़ाना था, बल्कि कई बार विपक्षी दलों वो दबाने और लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों वो गिराने के लिए भी इसका उपयोग किया गया।

1951 में किया गया पहला संशोधन इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यवित वी स्वतंत्रता, पर **"युवितयुक्त प्रतिबंध"** लगाए। इस कदम को उस दौर के कई नेताओं ने जनता की आवाज दबाने का प्रयास भी बताया है। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय "आपातकाल" के तौरान, कांग्रेस ने संविधान के सबसे बड़ा दुरुपयोग 1976 के 42वें संशोधन के रूप में किया। इस दौरान किये संशोधनों की संख्या इतनी ज्यादा थी के इसे "मिनी संविधान" कहा गया, क्योंकि इसने हमारे देश के संविधान के कई मूलभूत ढांचों को ही बदल कर रख दिया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लोकतंत्र को कुचलने का थे प्रयास भारत कभी नहीं भूल सकता, इतिहास गवाह है कि किस हद तक संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग व्यवितगत और राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया। आपातकाल लागू होते ही देश में सभी का निर्माण करें जिसमे विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों के साथ साथ, लाखों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था।

बाबा साहेब ने संविधान को हमारे देश के लोकतंत्र का संरक्षक माना था। उन्होंने आपातकालीन प्रावधानों वो केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए रखा था, न कि सत्ता में बने रहने के लिए। आपातकाल के दौरान इन प्रावधानों के साथ जिस तरह खेला गया, वह उनकी दृष्टि के विपरीत था। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में आपातकालीन प्रावधान इसलिए जोड़े थे ताकि देश को आंतरिक या बाही खतों से बचाया जा सके। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में ना जाने कितनी यातनाएं, जातिगत भेदभाव और संघर्षो को झेला, लेकिन हमारे संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिले, ऐसी दूरगामी कल्पना कर उसमें समाहित किया। 1975 में लाये गए आपातकाल ने बाबा साहेब के मूलभूत विचार और संविधान की मूल भावना वो ही तार–तार कर दिया, ये कांग्रेस का संविधान और देश के लोकतंत्र के प्रति, झूठे नकाब के पीछे छिपा उनका वास्तविक चेहरा दिखाता है।

बाबा साहेब का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को स्थापित करने के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। हमारे देश के संविधान शिल्पकार होने के साथ–साथ, उनका जीवन, समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर दलित समुदाय, को समान अधिकार

दिलाने के लिए संघर्षरत रहा। उनकी तरी हुई यही विरासत हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे का आधार साबित हुई। विडंबना ये रही कि कांग्रेस पार्टी, जिसने दशकों तक भारत पर शासन किया, ने उनके व्यवितत्व, विरासत और भावना को बार–बार अपमानित किया।

बाबा साहेब वो उनके जीवनकाल में उचित मान्यता नहीं मिली। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए सकारात्मक कदमों और आरक्षण की वकालत की, पर कांग्रेस ने इनके उद्देश्यों को हमेशा ठन्डे बस्ते में ही दबाये रखा। बाबा साहेब ने कांग्रेस पर हमेशा यह आरोप लगाया, कि यह पार्टी वंचित वर्गों के हितों की अनदेखी करती है। भारत की आज्जारी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म, और अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा की गई थी। पूरे देश के के समय भी, उनके और कांग्रेस के बीच दलित अधिकारों को लेकर वैचारिक संघर्ष चलता रहा। इतिहास गवाह है, कांग्रेस के दशकों के शासन में वंचित और दलित समुदाय सिर्फ राजनितिक हथियार बनकर ही रहा और उनवोहमेशा वी तरह हाशिये पर ही रखा गया।

बाबा साहेब ने संघीय ढांचे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना था, लेकिन कांग्रेस ने इन होनों स्तंभों को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया। राज्यों की चुनी हुई विपक्षी सरकारों वो बार–बार अनुच्छेद 356 का उपयोग कर बर्खास्त किया गया। इसी प्रकार, न्यायपालिका वो नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस ने संविधान संशेधन का सहारा लिया। कांग्रेस ने संविधान संशोधनों और प्रावधानों का समुचित दुरुपयोग कर सत्ता में बने रहने की कोशिश की और बाबा साहेब के विचारों को बार–बार नजर अंदाज किया।

बाबा साहेब की विरासत को सही मायने में सम्मानित करने का अर्थ केवल उनके नाम का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उनके आदर्श वो नीतियों और शासन में लागू करना है। हमारे देश के लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के सिद्धांतों की रक्षा हो और बाबा साहेब के सपनों का भारत वास्तविकता बने।

हमारा देश का संविधान, जिसे बाबा साहेब ने बड़ी लगन, दूरदर्शिता और वर्षों की तपस्या के बाद तैयार किया था, सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की नींव भी है, लेकिन अफसोस, कांग्रेस और विपक्षियों ने इसे अपनी राजनीतिक गेटियां सेंकने का जरिया बना लिया है। संविधान में संशेधन तो इसलिए होते हैं और होने चाहिए ताकि देश की बदलती

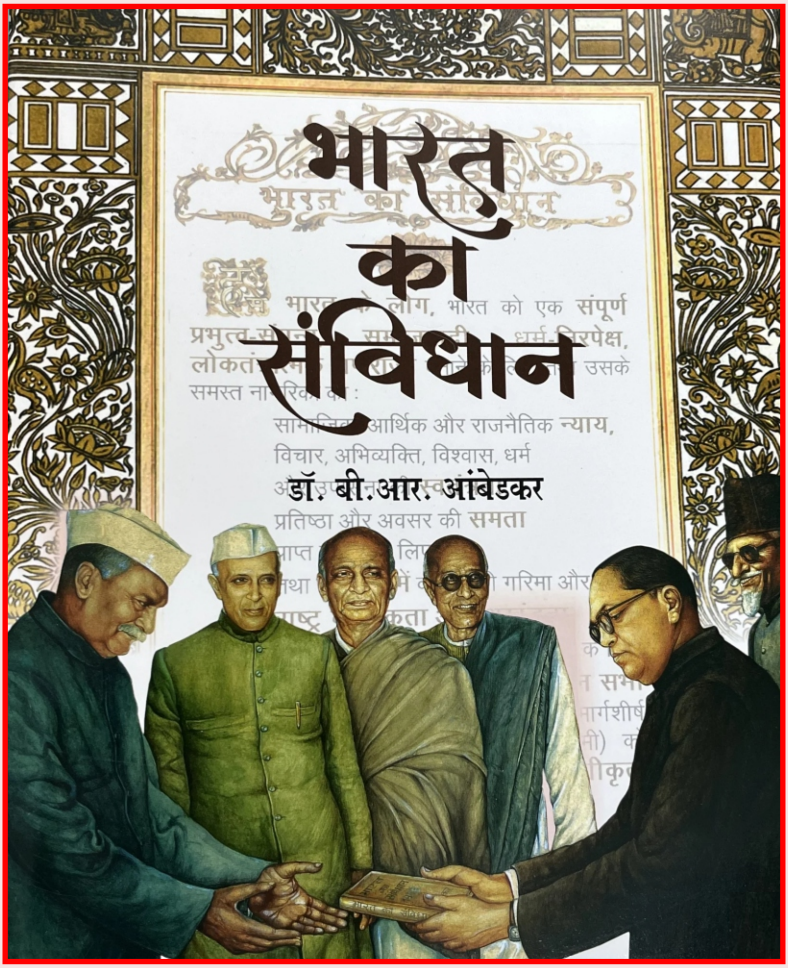

जरूरतें पूरी वी जा सकें, लेकिन कांग्रेस ने इसे सत्ता में बने रहने का टूल भर बना लिया था। 1975 में देश पर शेपा गया 'आपातकाल' और 42वें संशोधन जैसे कदरों ने संविधान के मूल ढांचे पर सीधा हमला किया। मतलब, भारत के संविधान के साथ जैसे चाहा, वैसे खेला। विडंबना ही है कि संविधान की हत्या कांग्रेस अब संविधान बचाने का पाखंड कर रही है।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।)

परिवारवाद व तुष्टीकरण

देश में विपक्षी खेमा शायद ही कभी इतना दिशाहीन एवं दायित्व से विमुख रहा हो, जैसा इस समय है।
विपक्ष की दयनीय दशा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 और 2019 के लोक सभा चुनाव में किसी विपक्षी दल को औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने लायक सीटें भी प्राप्त नहीं हुईं। बीते आम चुनाव में विपक्ष की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन लगता नहीं कि विपक्षी नेताओं ने इससे कोई सबक लिया है। यदि ऐसा होता तो नेता, प्रतिपक्ष राहुल गांधी यह नहीं कहते कि वह मोदी सरकार के साथ–साथ भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं।
इससे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता के साथ अंध मोदी विरोध भी प्रकट होता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार के रचनात्मक विरोध की है कि सरकारी नीतियों की निगरानी एवं उन्हें जनोपयोगी बनाने में अपनी भूमिका निभाए।
लेकिन मौजूदा विपक्ष ने सरकार के अंध विरोध की राह अपना कर उनका दायरा ''भारतीय राज्य'' के खिलाफ मुहिम छेड़ने तक कर दिया है। हैरानी नहीं कि विपक्षी दल अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। लोक सभा चुनाव के बाद हुए विधान सभा चुनावों से यह स्पष्ट भी हुआ है।लोक सभा चुनाव में भाजपा को कुछ तात्कालिक झटका जरूर लगा था,मगर उसने उससे सबक लेकर अपनी रणनीति को सुसंगत बनाया और सफलता हासिल की। जबकि विपक्षी दलों ने अपनी छोटी सी बढ़त भी गंवा दी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य यही संकेत करता है कि उन दलों का अब कोई भविष्य नहीं,जो खुद को राष्ट्रहित से नहीं जोड़ पा रहे। इसी कारण वंशवादी दल सिकुड़ रहे हैं। देश के समक्ष मुख्य समस्या भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की है। इन समस्याओं से केवल भाजपा और उनके सहयोगी दल लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
विपक्षी दल स्वयं को समय के साथ परिवर्तित करने में असफल हो रहे हैं। वे संपत्ति का सृजन करने वालों को अनावश्यक रूप से निशाना बना रहे हैं। वे उन कम्युनिस्ट देशों की ओर भी नहीं देखते, जिन्होंने देश–काल और परिस्थितियों के अनुरूप अपना रवैया बदला। इसी कारण वे सफल भी रहे। चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देशों ने पूंजीवाद को अपनाया। इससे वहां के दलों के राजनीतिक वजूद को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। कुछ साल पहले चीनी कम्युनिस्ट पर्टी के एक शीर्ष नेता से यह सवाल पूछा गया था कि आप पूंजीवाद को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं ?
उस नेता का जवाब था–हम समाजवाद की रक्षा के लिए पूंजीवाद अपना रहे हैं। उधर रूस ने भी ऐसी ही बदली हुई नीति अपनाई और सोवियत संघ के विघटन के उपरांत खुद को नए सिरे से गढ़ा। अपने देश में भी जय प्रकाश नारायण और डा.राम मनोहर लोहिया ने देशहित में समय–समय पर अपनी रणनीतियां बदलीं और उसमें सफल भी हुए।
डा.लोहिया पहले ''एकला चलो''के पक्षधर थे। लेकिन 1964–65 तक आते–आते उन्होंने जरूरत देख कर गैर कांग्रेसी दलों को एक मंच पर लाने का काम किया। क्योंकि 50 प्रतिशत से भी कम वोट लाकर भी कांग्रेस लगातार सत्ता

में बनी हुई थी। जयप्रकाश नारायण ने भी जब बिहार आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ का साथ लिया तो उनकी आलोचना हुई। लेकिन उन्होंने देश के व्यापक हित में उन आलोचनाओं को नजरअंदाज किया।

सत्ता पर कांग्रेसी एकाधिकार तोड़ने के लिए एक समय लोहिया जनसंघ के अलावा कम्युनिस्टों से भी तालमेल चाहते थे,जबकि जार्ज फर्नांडिस कम्युनिस्टों के साथ चुनावी तालमेल के सख्त खिलाफ थे।

पार्टी के एक मंच पर लोहिया की ओर संकेत करते हुए फर्नांडिस ने कहा था कि कम्युनिस्टों के साथ तालमेल करोगे तो अपना मुंह काला करा कर आओगे। इस पर लोहिया बोले थे कि नहीं तालमेल करोगे तो तुम्हारा मुंह डबल काला होगा।

आखिरकार तालमेल हुआ। (तब की राजनीति में ऐसा दौर था जब पार्टी के सुप्रीमो के मुंह पर भी ऐसी बात कहने की छूट थी जैसी बात जार्ज ने लोहिया से कही थी और आज? आज तो ऐसा लगता है कि अधिकतर दलीय सुप्रीमो महाराजा हैं और बाकी लोग उनके गुलाम।) राजनीति में लचीलापन बहुत जरूरी है। कुछ लोगों द्वारा कट्टर हिन्दू के रूप में चित्रित किए जाने के बावजूद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेजते हैं। जबकि कांग्रेस के शीर्ष नेता न तो एक समय सोमनाथ मंदिर गए और न ही आज के उसके नेता अयोध्या में राम लला के दर्शन के लिए गए।

राहुल गांधी ने अचानक मंदिर जाना बंद कर दिया है। दरअसल कांग्रेस का पूरा जोर अल्पसंख्यकों के बीच अतिवादी तत्वों के तुष्टीकरण पर है। यह भी तब, जब पार्टी के दिग्गज नेता रहे एके एंटनी ने पार्टी हाईकमान से यह अपील की थी कि वह हिन्दुओं से भी निकटता दिखाए, क्योंकि सत्ता में आने के लिए मुसलमान मत ही पर्याप्त नहीं हैं। याद रहे कि 2014 में करारी हार के बाद एंटनी को ही हार के कारणों की पड़ताल का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें मुस्लिमों के प्रति अत्यधिक झुकाव एक प्रमुख कारण सामने आया। पता नहीं उनकी संस्तुतियों पर कांग्रेस आलाकमान ने कितना ध्यान दिया, लेकिन एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का जरूर कांग्रेस से मोहभंग हो गया और उन्होंने भाजपा के टिकट पर केरल से लोक सभा चुनाव भी लड़ा।

असल में कांग्रेस ने अपनी समावेशी एवं आदर्श रूप से सेक्युलर छवि बनाने के बजाय उन प्रतिबंधित संगठनों के साथ गलबहियां की, जिनकी कड़ियां पी.एफ.आई, तक से जुड़ी रही।

असल में कांग्रेस ने अपनी समावेशी एवं आदर्श रूप से सेक्युलर छवि बनाने के बजाय उन प्रतिबंधित संगठनों के साथ गलबहियां कीं, जिनकी कड़ियां पी.एफ.आई, तक से जुड़ी रही। पहले राहुल और अब प्रियंका जिस वायनाड सीट का लोक सभा में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वहां भी कांग्रेस को मुस्लिम लीग से तालमेल करना पड़ा। यह किसी से छिपा नहीं कि देश को तमाम भीतरी और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार का अंध विरोध छोड़कर अपनी सार्थक भूमिका के साथ न्याय करें। नीतियों पर सरकार को घेरें तो आवश्यक मुद्दों पर उसका सहयेगा भी करें। याद रहे कि 1962,1965 और 1971 के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों में विपक्षी दलों ने एकाध अपवाद को छोड़कर खुले दिल से तत्कालीन केंद्र सरकारों का साथ दिया था, लेकिन आज उल्टा दिख रहा है। कई बार तो विपक्ष की गतिविधियां चीन और पाकिस्तान जैसे बिगड़ैल पड़ोसियों का मनोबल बढ़ाने वाली होती हैं। यह कहीं से भी उचित नहीं है।

संविधान, आरक्षण और डॉ.अंबेडकर

संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ समाप्त हो चुका है। अपनी आदत के अनुसार विपक्ष विरोध के नाम पर सदन से भी सियासी चिंगारी निकालने का प्रयास कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संविधान पर चर्चा का आयोजन किया गया था जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने संविधान पर अपने–अपने विचार व्यक्त किये।

लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में संविधान, आरक्षण और डॉ. आंबेडकर पर कांग्रेस के विचारों को सप्रमाण सदन में रखा जिससे निरुत्तर हुई कांग्रेस ने राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन से 12 सेकेंड का एक टुकड़ा उठाकर उसे बाबा साहेब का अपमान बताते हुए गृहमंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस झूठे विमर्श को सच सिद्ध करने के प्रयास में पूरा विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में एक बार फिर एकजुट हो रहा है।

यद्यपि दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप और कांग्रेस आमने सामने हैं किन्तु आप के नेता भी गृहमंत्री की कथित टिप्पणी का वीडियो बनाकर गली–गली में घुमा रहे हैं कि शायद इसका लाभ विधान सभा चुनाव में मिल जाए। गृहमंत्री के विरुद्ध उसी प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा जैसा 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को आरक्षण विरोधी व संविधान विरोधी साबित करने के लिए किया गया था। अब हर एक दल व नेता डॉ. आंबेडकर को भगवान बनाकर अपनी डूबती हुई राजनीतिक नैया को पार लगाने का स्वप्न देखने लगा है। गृहमंत्री अमित शाह के भाषण के अगले दिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दलितों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए संसद परिसर में नीली टी शर्ट और नीली साड़ी पहनकर नमूदार हुए। उ0प्र0 में समाजवादी पार्टी भी भला पीछे क्यों रहती उसने भी डॉ.आंबेडकर की तस्वीरों के साथ यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा किया ओर सदन की कार्यवाही ठप करने का प्रयास किया।

गृहमंत्री के बयान के खिलाफ विपक्ष देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में बसपा नेत्री मायावती ने भी आक्रामक तेवर अपनाए हैं किन्तु वह सधे हुए बयान देकर कांग्रेस, भाजपा और सपा तीनों ही दलों को नसीहत दे रही हैं। बसपा नेत्री मायावती कांग्रेस पर हमलावर हैं, उनका कहना है कि बाबा साहेब की उपेक्षा करने वाली और देशहित में उनके द्वारा किये गये संघर्ष को हमेशा आघात पहुंचाने वाली कांग्रेस पार्टी का बाबा साहेब के अपमान को लेकर उतावलापन विशुद्ध छलावा है। बहिन मायावती ने डॉ. आंबेडकर के प्रति प्रेम दर्शा रहे समाजवादियों की पोल भी खोलकर रख दी है, मायावती का मानना है कि आज सपाई बाबासाहेब के नाम पर पीडीए का पर्चा निकाल रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि सपा ने भी कभी भी डॉ. आंबेडकर का सम्मान नहीं किया था। समाजवादियों ने वास्तव में बाबा साहब सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के प्रति द्वेष के तहत नए जिले, नई संस्थाओं व जनहित योजनाओं तक के नाम बदल डाले थे। सपा सरकार में तो डॉ. आंबेडकर का नाम तक सही नहीं लिखा जाता था।

कांग्रेस पार्टी आज नीली टी शर्ट व नीली साड़ी पहनकर इतराती हुई घूम रही है और उसे लग रहा है कि उसे वह मुद्दा मिल गया है जिससे उसकी वापसी की राह आसान हो

जायेगी लेकिन कांग्रेस बहुत बड़े भ्रम में है। सभी जानते हैं यह वहीं कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भी डॉ. आंबेडकर का सम्मान नहीं किया और न ही संविधान का कभी मान रखा।आज कांग्रेस नीले कपड़े पहनकर दलित समाज को छलने के लिए निकल पड़ी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डॉ. आंबेडकर का सम्मान किया होता तो आज उसकी यह दुर्गति न होती। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही कांग्रेस और डॉ. आंबेडकर के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गये थे। कांग्रेस के साथ बाबासाहेब का प्रथम विवाद 1930 में गोलमेज कांफ्रेस के समय हुआ था। आंबेडकर अनुसूचित जाति के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे जबकि गांधी जी इसके विरोधी थे। गांधी जी ने आंबेडकर जी के खिलाफ आमरण अनशन तक किया था। 29 जनवरी 1932 को दूसरी गोलमेज सम्मेलन के बाद मुंबई में बाबा साहब ने कहा कि मुझे कांग्रेसी देशद्रोही कहते हैं, यानी आज जो बाबासाहब की फोटो लेकर

धुर विरोध किया और आज राहुल गांधी नीली टी शर्ट पहनकर उनके अपमान पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस का आंबेडकर के प्रति प्रेम 2019 लोकसभा चुनाव में हारने के बाद से उमड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस व विरोधी दलों के सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह सपने में भी डॉ. आंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। संसद में चर्चा के दौरान यह तो सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस ने न केवल जीते जी बाबा साहेब का लगातार अपमान किया वरन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका मजाक उड़ाने का प्रयास किया। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बाबा साहेब का एक भी स्मारक नहीं बना जबकि जहां–जहां अन्य दलों की सरकारें आती गई वहां–वहां उनका स्मारक बनता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबासाहेब के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ विकसित किये। जिसमें मध्य प्रदेश में महू, लंदन में डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक, नागपुर

राजनीति कर रहे हैं, उस समय उन्हें गद्दार कहते थे। संविधान सभा में आंबेडकर जी के चयन का रास्ता भी नेहरू जी ने ही रोका था। हिंदू कोड बिल और सरकार की दलित विरोधी मानकिता के चलते आंबेडकर ने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए लिखा, "संरक्षण की सबसे अधिक जरूरत अनुसूचित जाति को है पर नेहरू का सारा ध्यान सिर्फ मुसलमानों पर है। ध्यान देने योग्य बात है कि आज भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मुस्लिम परस्त है।

कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आंबेडकर जी का लगातार अपमान करती रही। बाबा साहब को 40 साल तक भारत रत्न के लिए इंतजार करना पड़ा जबकि कांग्रेस अपने ही परिवार को भारत रत्न देती रही। नई दिल्ली में गांधी नेहरू परिवार की पीढ़ियों के स्मारक बने हैं जबकि गांधी परिवार ने आंबेडकर जी का अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नही होने दिया। कांग्रेस ने पग–पग पर डॉ. आंबेडकर के विचारों का

में दीक्षा भूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्य भूमि का विकास किया। 19 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने डॉ. आंबेडकर के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। आज जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूम रहे हैं यही लोग संविधान दिवस का विरोध व बहिष्कार करते रहे हैं।

कांग्रेस के नेतृत्व में आज संपूर्ण विपक्ष केवल वोटबैंक की राजनीति के कारण ही सदन में डॉ. आंबेडकर के अपमान का मुद्दा उछाल रहा है, क्योंकि देश में 20 करोड़ 13 लाख78 हजार 86 दलित हैं जो आबादी का 16.63 फीसदी है। दलितो की आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 23.6 फीसदी है। इस आबादी को अपना वोट बैंक बनाने के लिए आतुर कांग्रेस अपने साथियों के साथ मिलकर रोज नए नए स्टंट कर रही है क्योंकिउसको लगता है कि अकेले मुस्लिम वोट बैंक से उसे सत्ता नहीं मिल सकती।

कांग्रेस ने संविधान की शक्तियों को सीमित किया!

सर्वेश कुमार सिंह

कांग्रेस के पूर्व अध्यध और लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल गांधी ने संसद में संविधान दिवस के अवसर पर हुई चर्चा में बार बार संविधान की प्रति दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वे और उनकी पार्टी ही संविधान की सबसे बडी हितैषी और रक्षक है। राहुल गांधी ने यही काम लोकसभा चुनाव में भी किया। वे हर सभा में संविधान की प्रति लहराते थे। लेकिन, यहां प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस वास्तव में संविधान की हितैषी और रक्षक है अथवा वह संविधान की सबसे बडी शत्रु साबित हुई है? कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारों की गतिविधियों और निर्णयों पर यदि नजर डालें तो यही दिखायी देता है कि कांग्रेस ने न केवल संविधान को कमजोर करने का काम किया, बल्कि संवैधानिक दायित्व पर सर्वोच्च सत्ता शीर्ष के प्रमुख राष्ट्रपति के अधिकारों में भी कटौती करने का अक्षम्य अपराध किया था। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने 1971 में 24वां संविधान संसोधन करके यह अपराध किया था। इस अपराध का परिणाम यह हुआ कि न केवल देश की जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठाराधात हुआ, बल्कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को क्षीण करने का कुत्सित प्रयास हुआ।

चौबीसवां संविधान संशोधन 5 नवम्बर 1971 को हुआ। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री पद पर श्रीमती इन्दिरा गांधी आसीन थीं। उस समय एक मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था। इसके लिए 11 न्यायाधीशों की विशेष पीठ का गठन हुआ। यह मामला था "आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब प्रांत"। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में संसद को किसी भी तरह से मौलिक अधिकारों को कम करने से रोक दिया था। फैसले में कहा गया कि संसद को संवैधानिक स्वतंत्रता को समाप्त करने या कम करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इस फैसले से तत्तकालीन कांग्रेस सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को यह लगा कि उनकी सरकार की मनमानी परिवर्तन और संशोधन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने कम कर दी है। इसके बाद सरकार आईसी गोलकनाथ बनाम पंजाब प्रांत के मामले में हुए फैसले को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन ले आयी। इस संशोधन का उद्देश्य ही आईसी गोलकनाथ मामले के फैसले को पलटना था। क्योंकि यह फैसला सरकार को निरंकुश होने से रोक रहा था।

सरकार ने 24वें संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 को संशोधित कर दिया। सरकार ने संसद में संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13 में एक खण्ड (4) जोड़ दिया। ताकि, मौलिक अधिकारों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने के लिए संसद को अधिकृत किया जा सके। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी प्रभावी कानून जो मौलिक

अधिकारों के खिलाफ हो वह अमान्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आईसी गोलकनाथ मामले में अनुच्छेद 13 की इसी शक्ति की व्याख्या कर दी। न्यायालय ने कहा कि कानून शब्द के अन्तर्गत संवैधानिक संशोधन भी शामिल हैं। इसलिए कोई भी ऐसा संविधान संशोधन जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो स्वीकार्य नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की इस व्याख्या से ही तत्कालीन सरकार परेशान हो गई थी क्योंकि उसकी मंशा साफ नहीं थी। वह मौलिक अधिकारों का हनन करने की योजना बना कर क्रियान्वित करना चाहती थी। उसे यह लग गया कि वह अब मनमानी से संविधान संशोधन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए कांग्रेस सरकार ने 24वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13 में खण्ड (4) जोड दिया। इस खण्ड में

कहा गया कि अनुच्छेद 13 किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। संविधान संशोधन में आने वाली बाधा को कांग्रेस ने संविधान पर कुठाराघात करके हटाया।इस संशोधन से गोलकनाथ फैसला भी एक तरह से पलट दिया गया। इन्दिरा सरकार ने 24वें संशोधन के माध्यम से एक काम और किया। उसने संविधान के अनुच्छेद 368 को भी संशोधित कर दिया।यह अनुच्छेद महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार देता था कि संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत के साथ ही राष्ट्रपति की सहमति भी आवश्यक है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास असहमति का भी अधिकार था। वे संशोधन को लाने के लिए अहसमति भी जता सकते थे अर्थात मना भी कर सकते थे। सरकार ने राष्ट्रपति के इस अधिकार को भी बाधा माना तथा उसे भी बदल दिया। यानि कि राष्ट्रपति के अधिकारों में कटौती कर दी गई। अनुच्छेद 368 में संशोधन करके इसमें से संशोधन के लिए राष्ट्रपति की असहमति के अधिकार को समाप्त कर दिया। यानि कि राष्ट्रपति के पास अब केवल सहमति देने का ही विकल्प बचा, असहमति का विकल्प समाप्त कर दिया गया। एक तरह से राष्ट्रपति को इस संशोधन ने बाध्य कर दिया कि वे संशोधन पर सहमति ही दें।

इस संविधान संशोधन के माध्यम से कांग्रेस ने संविधान के प्रति अपनी नफरत और सोच को प्रकट किया। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर ऐसा आघात किया कि आगे चलकर वर्ष 1975 में उसने आपात काल लगाकर सभी तरह के नागरिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया। निरंकुश शासन व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र को भी कलंकित किया। लेकिन आज कांग्रेस और कांग्रेस के नेता खुद को सबसे बडा लोकतंत्र और संविधान रक्षक साबित करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। वे संविधान में यदि आस्था रखते तो यह 24वां संशोधन लाया ही नही जाता। लेकिन कांग्रेस की सोच आरंभ से ही एकाधिकारवादी और पारिवारवादी के साथ साथ तानाशाही की रही है। इसलिए इस तरह के असंवैधानिक काम किये गए। लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो गई है। वह सही और गलत का आकलन और विश्लेषण करने में सक्षम है। इसलिए कांग्रेस का वास्तविक चेहरा जनता के सामने आ रहा है। उसे जनता लगातार सबक सिखा रही है।

भारतीय संविधान में शक्तियां और विविधतायें

भारत, एक विशाल और विविध देश, जिसमें विभिन्न भाषाएँ, धर्म, जातियाँ, संस्कृतियाँ और क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ने इस विविधता को सम्मान देते हुए और एकीकृत रूप में बनाए रखते हुए भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने का आधार तैयार किया। भारतीय संविधान में शक्ति वितरण और विविधता के सिद्धांतों को सटीक रूप से समाहित किया गया है, ताकि हर नागरिक को समान अधिकार मिले और देश की विविधताओं का सम्मान किया जाए। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। इस लेख में हम भारतीय संविधान में निहित किए शक्तियों और विविधताओं के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, साथ ही यह समझेंगे कि कैसे ये सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं।

1. शक्ति वितरण का सिद्धांत (*Federalism*):

भारतीय संविधान में शक्ति का वितरण संघीय (फेडरल) प्रणाली के अनुसार किया गया है, जो एक संघीय राज्य और उसके घटक राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन स्थापित करता है। भारत में सरकार की संरचना दो स्तरों पर काम करती है – केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। यह व्यवस्था भारतीय राजनीति में शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान के **"सातवीं अनुसूची"** में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। इस अनुसूची में केंद्र और राज्य के अधिकारों को तीन सूचियों में बांटा गया है :–

1. **संघ सूची (*Union List*):** इसमें वे विषय हैं जो केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, रक्षा, और नागरिक उड्डयन।
2. **राज्य सूची (*State List*):** इसमें वे विषय हैं जो राज्य सरकारों के अधिकार में होते हैं, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, और शिक्षा।
3. **संविधानिक सूची (*Concurrent List*):** इसमें वे विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधिकार में होते हैं, जैसे आपराधिक कानून, विवाह और तलाक, और दंड संहिता।संविधान में यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि दोनों स्तरों की सरकारें अपने–अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, और किसी भी विषय पर विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय दे सके।

2. केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण (*Centralization and Decentralization*)

भारतीय संविधान में शक्तियों के वितरण का सिद्धांत एक लचीले संघीय ढांचे की ओर इशारा करता है, जिसमें समय के साथ बदलाव की अनुमति है। यह भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। संगठनात्मक रूप से, भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के मुकाबले अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, खासकर तब जब कोई राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो या राज्य सरकारें संवैधानिक संकट का सामना कर रही हों। वहीं, समय–समय पर विकेंद्रीकरण की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं, जैसे पंचायत और नगर निगमों को अधिक अधिकार प्रदान करना। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूत किया गया और स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार और संसाधन दिए गए, ताकि लोकतंत्र के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सके।

3. भारतीय संविधान और विविधता (*Indian Constitution and Diversity*)

भारत की विविधता इसके सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और जातीय विविधताओं से उत्पन्न होती है। भारतीय संविधान ने इस विविधता का सम्मान करते हुए इसे एकता में पिरोने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान में समानता और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाएँ स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि भारतीय राज्य हर व्यक्ति के धर्म, जाति, और भाषा के बावजूद समान अधिकार और सम्मान प्रदान करेगा।

धर्मनिरपेक्षता (*Secularism*)

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा और सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता है, और राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह से, संविधान भारत के धार्मिक विविधता को सम्मानित करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

भाषाई विविधता (*Linguistic Diversity*)

भारत में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और भारतीय संविधान

में इस भाषाई विविधता को स्वीकार किया गया है। संविधान ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को अपने प्रशासनिक कामकाज में उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई।आठवीं अनुसूचीमें भारत की 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। इस तरह, भारतीय संविधान ने भाषाई विविधताओं को एकता में समाहित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी भाषाई समूह अपने अधिकारों से वंचित न हो।

जातीय और सांस्कृतिक विविधता (*Cultural Diversity*)

भारत में जाति, संस्कृति, और आस्था के आधार पर व्यापक विविधता है। भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि इस विविधता को सम्मानित किया जा सके और समाज के कमजोर वर्गों को उनका अधिकार मिल सके। अनुच्छेद 15 और 16 के तहत, संविधान ने जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं। साथ ही, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्गके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके। अनुच्छेद 46 के तहत, संविधान ने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रक्षा करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया है।

4. समानता और न्याय (*Equality and Justice*)

भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 14 के तहत संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी को समान अवसर मिलेंगे। यह सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 21 ने नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया, जो संविधान के समानता और न्याय के सिद्धांत को और सुदृढ़ करता है।

5. समावेशी लोकतंत्र (*Inclusive Democracy*)

भारत का लोकतंत्र न केवल राजनीतिक अधिकारों पर आधारित है, बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग, समुदाय और क्षेत्र के लोगों को समावेशी रूप से अधिकार और सम्मान देने की दिशा में काम करता है। भारतीय संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि हर वर्ग, चाहे वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, जाति या धर्म के कारण वंचित हो, या क्षेत्रीय दृष्टिकोण से दूर हो, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं। समावेशी लोकतंत्र का यह विचार भारतीय संविधान केमूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों से उत्पन्न होता है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की अवधारणा दी गई है, जो भारतीय समाज की विविधता और एकता को बनाए रखने में मदद करती है।

भारतीय संविधान का शक्ति वितरण और विविधता पर आधारित दृष्टिकोण न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं को सम्मानित करता है, बल्कि यह देश को एकजुट और सशक्त बनाए रखने का कार्य करता है। संविधान की संघीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, भाषाई और जातीय समानता, और सामाजिक न्याय की अवधारणाएँ भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाती हैं। भारत की विविधता को एकता में बदलने के लिए भारतीय संविधान का यह दृष्टिकोण एक आदर्श है, जिसे अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत माना जा सकता है। भारतीय संविधान ने न केवल राजनीतिक शक्ति का सही वितरण किया है, बल्कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर देने के लिए कई प्रावधान किए हैं, जो भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध और सशक्त बनाते हैं।

स्वर्णिम भारत का पर्याय है सांस्कृतिक विरासत

डॉ0 शंकर सुवन सिंह

भारत में वर्ष 2025 में 76 वाँ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। संविधान लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम/प्रसंग है– "स्वर्णिम भारत–विरासत और विकास"। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को चुना गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आजादी के बाद देश को चलाने के लिए डॉ भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे देश का संविधान लिखा गया। जिसे लिखने में पूरे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किये जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 ई. को दिल्ली के राजपथ पर हुई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है । गण और तंत्र। वैदिक काल में गण का शाब्दिक अर्थ था
दल/समूह/लोक। तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है डोरा/सूत (रस्सी)। अर्थात ऐसी रस्सी/डोरा, जो लोगों के समूह को जोड़े। लोकतंत्र कहलाता है और यही गणतंत्र है। अतएव हम कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान को लागू किये जाने का द्योतक है। संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी", "धर्मनिरपेक्ष" और "अखंडता" शब्द बाद में भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा भारतीय आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। भारत में आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) के दौरान, इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के बयालीसवें संशोधन में कई बदलाव किए थे। इसी संशोधन के ज़रिए "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को "संप्रभु" और "लोकतांत्रिक" शब्दों के बीच जोड़ा गया और "राष्ट्र की एकता" शब्दों को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" में बदल दिया गया। भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। अतएव भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से स्वावलम्बन, स्वाभिमानता और समानता परिलक्षित होती है। स्वावलम्बिता, स्वाभिमानिता और समानता के मूल में स्वाधीनता वास करती है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, विचारों की स्वतन्त्रता, विश्वास की स्वतन्त्रता, आस्था और पूजा की स्वतन्त्रता स्वतंत्र भारत की पहचान है। अतएव हम कह सकते हैं कि अक्षुण्ण विरासत और विकास की सेतु पर खड़ा सविधान ही भारतीय गणतंत्र व्यवस्था की पहचान है। आत्मविश्वास का होना ही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। भगवद गीता में लिखा है नायं आत्मा बलहीनेन लभ्यः अर्थात यह आत्मा बलहीनो को नहीं प्राप्त होती है। आत्मबल ही आत्मविश्वास की जननी है। आत्मबल और आत्मनिर्भर शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बी होने को दर्शाता है। स्वावलम्बन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलम्बी अवश्य होना चाहिए। रामराज्य की परिकल्पना मोहनदास करमचंद गांधी की दी हुई थी। गांधीजी ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति के पश्चात ग्राम स्वराज के रूप में रामराज्य की कल्पना की थी। आत्मनिर्भरता, रामराज्य की परिकल्पना पर आधारित है। आत्मनिर्भर भारत की नींव गांधी के रामराज्य पर टिकी थी। गाँधी जी का स्वराज्य, रामराज्य की परिकल्पना का आधार था। स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन–आवश्यकताओं तथा जन–आकांक्षाओं के अनुरूप हो। यही स्वराज्य रामराज्य कहलाया। स्वराज का तात्पर्य स्वतंत्रता से है। बिना आत्मनिर्भर हुए स्वतंत्र नहीं हुआ जा सकता है। आत्मनिर्भरता या स्वावलम्बिता स्वतंत्र होने की एक कड़ी है। जब हम स्वतंत्र होंगे तभी हम स्वाभिमानी होंगे अर्थात स्वाभिमानिता के लिए स्वाधीनता जरुरी है। हिन्दुस्तान को गांधी का रामराज्य चाहिए। राम राज्य भगवान् राम के पुरुषार्थ और शासन का द्योतक है। भगवान् राम सहिष्णुता के प्रतीक थे। राम सत्य के प्रतीक थे। तभी तो भगवान् राम ने रामराज्य स्थापित किया था। आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है और वहीं दूसरी ओर

विदेशी कम्पनियाँ और विदेशी सामान की हिन्दुस्तान में बाढ़ आ गई है। प्रत्येक संस्था का निजीकरण होता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ा है। यदि स्वावलम्बन, समानता और स्वाभिमान की बात करनी हो तो गांधी के रामराज्य की कल्पना करनी होगी। अतएव हम कह सकते हैं कि स्वतन्त्रता, गांधी के रामराज्य की परिकल्पना पर आधारित होनी चाहिए। सभी राजनैतिक पार्टियों को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचारों को आत्मसात करने की जरुरत है। वास्तव में भारत तभी स्वावलम्बी और स्वाभिमानी बन पाएगा। भारत को रामराज्य की परिकल्पना अपने पूर्वजों या पुरखों से विरासत में मिली हैं। रामराज्य की परिकल्पना रूपी विरासत को संजोकर रखने की जरुरत है। अयोध्या का राम मंदिर अपनी सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय उदाहरण है। भगवान् राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर को पुनर्जीवित करना ही अपनी विरासत को सम्हालने का एक अच्छा उदहारण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पुण्य कार्य का श्रेय जाता है। किसी भी देश की विरासत उस देश के विकास की आधारशिला होती है। पुरखों से प्राप्त वस्तु, सम्पत्ति आदि को विरासत कहा जाता है। पूर्वजों द्वारा प्राप्त की गई वस्तु या संपत्ति आदि को ही विरासत कहा जाता है। विश्व में भारत अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वर्णिम स्थान रखता है। भारत विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश रहा है। भारत में मुख्यतः निम्नलिखित विरासतें हैं:– 1. सांस्कृतिक विरासत 2. प्राकृतिक विरासत 3.मिश्रित विरासत। सांस्कृतिक विरासत दो प्रकार की होती है– मूर्त संस्कृति और अमूर्त संस्कृति। सांस्कृतिक विरासत में मूर्त संस्कृति जैसे इमारतें, स्मारक, परिदृश्य, अभिलेखीय सामग्री, किताबें, कला के कार्य और कलाकृतियाँ आदि आते हैं। अमूर्त संस्कृति जैसे लोकगीत, परंपराएँ, भाषा और ज्ञान) और प्राकृतिक विरासत (सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण परिदृश्य और जैव विविधता सहित) शामिल हैं। मिश्रित विरासत स्थलों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल होते हैं। भारत में 43 यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थान शामिल हैं। भारत में यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) द्वारा अनुरक्षित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घटक शामिल हैं। इन धरोहर स्थलों से विदित होता है कि भारत ने विरासत में अपने पूर्वजों से और प्रकृति से स्वर्णिम धरोहर प्राप्त किये। भारत में रामायण (बाल्मीकि), महाभारत व भगवद गीता (वेद व्यास), मनु स्मृति (ऋषि मनु),अभिज्ञान शाकुंतलम (कालिदास), रामचरित मानस (तुलसीदास),आदि असंख्य ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों ने की। वेद, पुराण, उपनिषद और दर्शन आदि ये सभी भारतीय विरासत के अभिन्न अंग हैं। वेदों से ही चौथा वेद अथर्वेद आया। आज विश्व में आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्णिम भारत की छवि को विश्व पटल पर रख चूका है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन से ही आज विश्व प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ही देन है जिसकी वजह से 11 दिसंबर, 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। भारत ऋषि मुनियों और देवताओं की भूमि रही है जहां राजा हरिश्चंद्र (सतयुग), भगवान् राम (त्रेता युग), भगवान् कृष्ण (द्वापर युग) आए। श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन है, वहीं कुछ धर्मशास्त्रों में 24 अवतार भी बतलाए गए हैं. जिनमें से "दशावतार" (दस अवतार) प्रमुख हैं. गरुड़ पुराण में दशावतार का वर्णन है. वे हैं– मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। भगवान् के ये सारे अवतार भारत भूमि को स्वर्णिम बनाते है। इन ऋषि मुनियों और देवताओं से विरासत के रूप में प्राप्त संस्कार भारत की संस्कृति को विश्व में स्वर्णिम या अद्वितीय बनाते हैं। यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) द्वारा वर्ष 2017 में कुम्भ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। जो भारत के लिए अपूर्व गर्व का दिन था। वर्ष 2025 में प्रयागराज जिले में 144 वर्षों बाद लगा महाकुम्भ – 2025 (धार्मिक समागम), सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय स्रोत है। इस बार महाकुंभ मेला 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला में आयोजित किया गया, जो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। प्रयाग में तीन नदियों का संगम है– गंगा, यमुना और सरस्वती। महाकुम्भ के मुख्य स्नान पर्व पर किया गया स्नानअत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति देता है। कहते हैं इस समय किया गया स्नान मोक्ष दायनी होता है। महाकुम्भ के समय हिन्दू देवी देवता सभी किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। इस समय बड़े बड़े चमत्कारी साधू संत अपना प्रवास करते हैं। इनका आशीर्वाद मतलब देवताओं का आशीर्वाद होता है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में चार पवित्र स्थला–प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, और नासिक में आयोजित होता है। यह मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु–संत, और पर्यटक एकत्रित होते हैं। महाकुंभ की जड़ें हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में समुद्र मंथन से जुड़ी हैं। ऐसा माना जाता है कि अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन चार स्थानों पर गिरीं, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए।

विश्व में भारत अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वर्णिम स्थान रखता है।

किसी भी राष्ट्र के विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।किसी भी देश का विकास सांस्कृतिक विरासत के बिना संभव नहीं है। भारत की विरासत अक्षुण्ण है। इसको क्षीण नहीं किया जा सकता। भारत की विरासत ही उसके विकास की जननी है। अतएव हम कह सकते हैं कि अक्षुण्ण विरासत, स्वर्णिम भारत का प्रतिबिम्ब है।

बाबा साहेब जी के साथ कांग्रेसी अन्याय

कांग्रेस पार्टी ने 1952 और 1954 के चुनावों में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को हराने के लिए कम्युनिस्टों के साथ मिलकर रणनीति बनाई, यहां तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। नेहरू सरकार में मंत्री रहते हुए भी डॉ. अंबेडकर को रक्षा और विदेश मामलों की प्रमुख समितियों से बाहर रखा गया। उनके ज्ञान और योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था।

काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन नेहरू सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, जिससे साफ हो गया था कि सामाजिक असमानता को सुधारने में कांग्रेस की कोई मंशा नहीं थी।

नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में आरक्षण का विरोध किया और इसे प्रशासनिक अक्षमता का कारण बताया। नेहरु का ये रवैया हाशिए पर खड़े समुदायों के प्रति कांग्रेस की नफरत को उजागर करता है।

इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में जानबूझकर देरी की, जिससे अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को लंबे समय तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका।

राजीव गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया और आरक्षण के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण खत्म करने का समर्थन करते हुए विज्ञापन भी प्रकाशित किए। 1985 में राजीव गांधी ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण को "मूर्खों को प्रोत्साहन देने" जैसा बताया। यह कांग्रेस की दलितों और पिछड़े वर्गों के प्रति नफरत को दर्शाता है।

विभाजन के बाद, भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने दलित शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सरकार से अपील की, लेकिन नेहरू सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बाबासाहेब के इस सपने को 2019 में भाजपा सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करके पूरा किया गया।

बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रगतिशील कानून था, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं किया, जिसकी वजह से डॉ. अंबेडकर ने 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

कांग्रेस ने बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को दिल्ली में अंतिम संस्कार की अनुमति तक नहीं दी और दिल्ली में उनके स्मारक के निर्माण का भी विरोध किया।

देशहित में बाबासाहेब के महान योगदानों के बावजूद, कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार द्वारा बाबासाहेब को भारत रत्न दिया गया। यूपीए सरकार के दौरान, NCERT की एक किताब में डॉ. अंबेडकर का अपमानजनक कार्टून प्रकाशित किया गया, जिसमें बाबा साहेब और उनके योगदान का अपमान किया गया। कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का 88 बार दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, जिससे भारत की संघीय संरचना कमजोर हुई और केंद्र सरकार में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ।

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने के मामले में भी कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इस अनुच्छेद ने असमानता और अलगाववाद को बढ़ावा दिया। आपातकाल के दौरान, कांग्रेस ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया, जिससे भारतीय संविधान की आत्मा पर प्रहार हुआ। इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया और कार्यपालिका में सत्ता का केंद्रीकरण किया। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया।

विश्व के लिए प्रेरक ''भारतीय संविधान''

डॉ0 सौरभ मालवीय

भारत एक विशाल एवं विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है। यहां विभिन्न संप्रदायों, पंथों एवं जातियों आदि के लोग निवास करते हैं। उनके रीति–रिवाज, भाषाएं, रहन–सहन एवं खान–पान भी भिन्न–भिन्न हैं। तथापि वे आपस में मिलजुल कर प्रेमभाव से रहते हैं। वास्तव में यही भारत का मूल स्वभाव है। भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि पहले संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, जिसे '44वें संविधान संशोधन–1978 के अंतर्गत हटा दिया गया। सातवां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। मूल अधिकार का एक दृष्टांत है– "राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा।" भारतीय संविधान में भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। यही इसकी विशेषता है। वास्तव में इन मूल अधिकारों के कारण ही भारतीय संविधान विश्व में प्रेरणादायी माना जाता है। भारत के नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत के लिए जितने अधिकार प्रदान किए गए हैं, उतने अधिकार संभवत ही किसी अन्य देश के नागरिकों को प्रदान किए गए हों।

वास्तव में भारतीय संविधान ऋषि परंपरा का धर्मशास्त्र है। भारतीय संविधान 'हम भारत के लोगों' के लिए हमारी अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत जनित स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्श मूल्यों के प्रति एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। वर्तमान के आधुनिक भारत की संकल्पना के समय संविधान निर्माताओं ने इसी सांस्कृतिक विरासत को उसके मूल स्वरूप में अक्षुण्ण रखने के ध्येय से भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के रुचिकर चित्रों को स्थान दिया, जो मूलतः भारतीय संविधान के भारतीय चैतन्य को ही परिभाषित करते हैं। भारतीय ज्ञान परम्परा के अलोक में निर्मित भारतीय संविधान भारत की ऋषि परम्परा का धर्मशास्त्र है। भारतीय जीवन दर्शन का ग्रंथ है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां सबका आदर–सम्मान किया जाता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। यह सनातन धर्म का मूल संस्कार है। यह एक विचारधारा है। महा उपनिषद सहित कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

अर्थात यह मेरा अपना है और यह नहीं है, इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। कहने का अभिप्राय है कि धरती ही परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है।

भारत के लोग विराट हृदय वाले हैं। वे सबको अपना लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं। एक–दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की महानता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश का

सबसे लम्बा लिखित संविधान माना जाता है। यह संविधान देश का सर्वोच्च विधान है। यह संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। इसलिए 26 नवम्बर को संविधान दिवस तथा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया।

भारतीय संविधान को पूर्ण करने में दो वर्ष, 11 मास, 18 दिन का समय लगा था। इस पर 114 दिन तक चर्चा हुई तथा 12 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 को किया गया था। इस सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 में अपना कार्य पूर्ण कर लिया था। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग एक करोड़ व्यय हुए थे। इससे पूर्व देश में भारत सरकार अधिनियम–1935 का विधान प्रभावी था। कोई भी वस्तु सदैव पूर्ण नहीं होती है तथा काल एवं आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन होने संभव हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के प्रभावी होने के पश्चात इसमें सौ से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। भविष्य में भी इसमें संशोधन होने की पूर्ण संभावना है।

भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य एवं नागरिकों के अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के चार चीफ कमिश्नर थे तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। उल्लेखनीय यह भी है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम सदस्य चुने गए थे। देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्थित की गई है। इसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्र पति है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं तथा यह 25 भागों में विभाजित है। इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं तथा ये 22 भागों में विभाजित था।

भारतीय संविधान के निर्माण का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का सृजन करना है। इसलिए इसके निर्माण से पूर्व विश्व के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात उन पर गंभीर चिंतन–मनन किया गया। इन संविधानों में से उपयोगी संविधानों के शब्दों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया।

भारतीय संविधान की उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सबमें, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भारतीय संविधान की इस उद्देशिका में भारत की आत्मा निवास करती है। इसका प्रत्यके शब्द एक मंत्र के समान है। हम भारत के लोग– से अभिप्राय है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। इसी प्रकार संप्रभुता– से अभिप्राय है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी से अभिप्राय है कि संपूर्ण साधनों आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य। 'पंथनिरपेक्ष राज्य' शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लोकतांत्रिक– से अभिप्राय है कि लोक का तंत्र अर्थात जनता का शासन। गणतंत्र– से अभिप्राय है कि एक ऐसा शासन जिसमें राज्य का मुखिया एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। न्याय–से आशय है कि सबको न्याय प्राप्त हो। स्वतंत्रता–से अभिप्राय है कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता से जीवन यापन करने का अधिकार है। समता– से अभिप्राय है कि देश के सभी नागिरकों को समान अधिकार

प्राप्त हैं। इसी प्रकार बंधुत्व– से अभिप्राय है कि देशवासियों के मध्य भाईचारे की भावना।

विचारणीय विषय यह है कि भारतीय संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए हैं तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, किन्तु देश में आज भी ऊंच–नीच, अस्पृश्यता आदि जैसे बुराइयां व्याप्त हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए विधान भी बनाए गए, परंतु

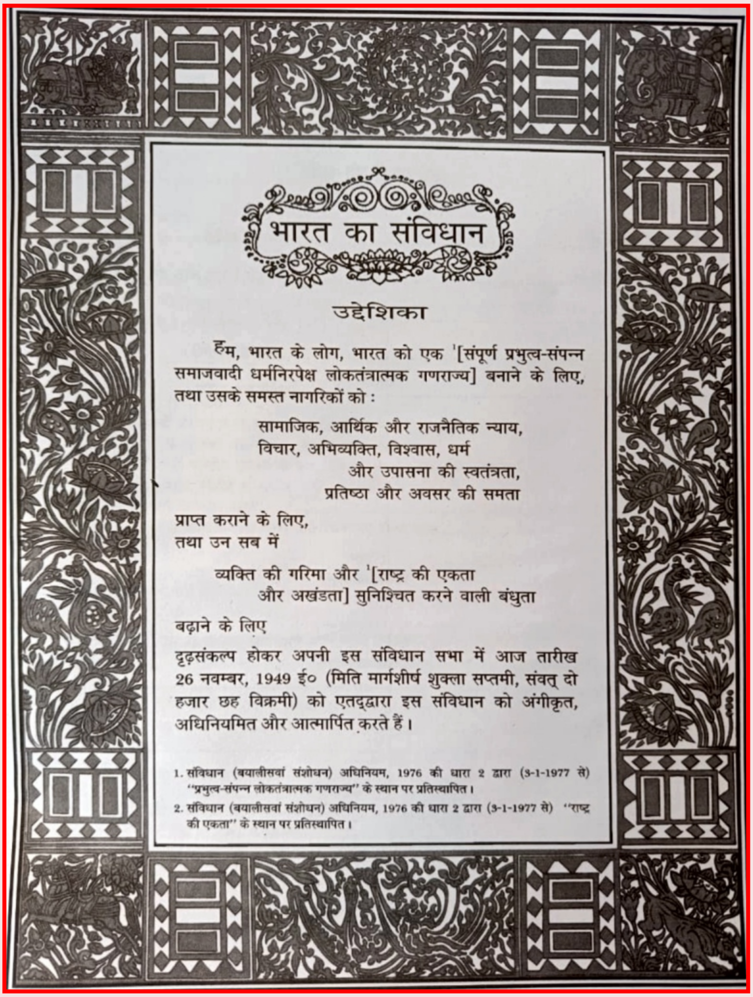

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [1][राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

इनका विशेष लाभ देखने को नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। सामाजिक समरसता भारतीय समाज का सौंदर्य है, अस्पृश्यता से संबंधित अप्रिय घटनाएं भी चर्चा में रहती हैं। इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जागरूक लोगों को ही आगे आना चाहिए तथा सभी लोगों को अपने देश के संविधान का पालन करना चाहिए।

भारतीय संविधान संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। संविधान की संघीय अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें द्वैध शासन प्रणाली, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान में कई एकात्मक अथवा गैर–संघीय विशेषताएं भी हैं, जिनमें एक सुदृढ़ केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की नम्रता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान आदि सम्मिलित हैं।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली प्रभावी है। देश में न केवल केंद्र, अपितु राज्यों में भी संसदीय प्रणाली प्रभावी है।

एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के द्वारा संसदीय विधानों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो दूसरी ओर संसद को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है।

भारतीय संविधान के द्वारा ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है, जो एकीकृत होने के साथ–साथ स्वतंत्र भी है। देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है तथा इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम है अर्थात जिला न्यायालय एवं अन्य निचले न्यायालय। न्यायालयों की यह एकल प्रणाली केंद्रीय विधानों के साथ–साथ राज्य विधानों को भी प्रभावी करती है। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। इसे संविधान का संरक्षक माना जाता है।

भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। यह किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसलिए सभी धर्मों को समान सम्मान देना और उनकी रक्षा करना इसका उत्तरदायित्व है। भारतीय संविधान संघीय है और इसमें दोहरी राजनीति अर्थात केंद्र एवं राज्य की परिकल्पना की गई है, परंतु इसमें केवल एकल नागरिकता अर्थात भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। यह अपने नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। निसंदेह भारतीय संविधान अपनी विशेषताओं के कारण विश्वभर में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।

बाबा साहेब एक दीर्घदृष्टा

मीना चौबे

भारतीय इतिहास और संस्कृति में अनेक अनुकरणीय प्रतिभाएँ हैं भारत का राष्ट्रीय भाव सांस्कृतिक राष्ट्र भाव ही है, भारतीय संस्कृति और दर्शन में विविधता है ,लेकिन अंततः एक जन एक संस्कृति एक राष्ट्र का विचार ही भारतीय राष्ट्रवाद का आदर्श है, बाबा साहब को इसी समग्र दर्शन से अद्वैत दर्शन हुआ।

महात्मा गांधी जी समूचे विश्व में आदरणीय हुए देश ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा है ।पर डॉक्टर अंबेडकर महान राष्ट्रवादी थे उच्चकोटि के विचारक थे, उच्चकोटि के राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे भारतीय समाज का पुनर्गठन चाहते थे ।संविधान की रचना में उनका योगदान अतुलनीय है। वे महान राष्ट्र के निर्माता थे संविधान की रचना में उनके अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका में लिखा था जैसे जैसे समय बीतता जाएगा डॉक्टर अंबेडकर की कीर्ति विश्व के आकाश में अधिकाधिक फैलती जाएगी जैसे राष्ट्रीय रंगमंच पर उनकी महान भूमिका का वस्तुपरक पूर्वाग्रह मुक्त मूल्यांकन न करने की प्रवृति बढ़ेगी, उनकी गणना स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी ,डॉक्टर हेडगेवार जैसे युगपरिवर्तक राष्ट्र पुरुषों के रूप में की जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर विश्व के उन महान व्यक्तियों में हैं जो काल के कपाल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं और जिनके जुझारू जीवन अनवरत संघर्ष से प्रेरणा लेकर भावी पीढ़ी सामाजिक समता तथा न्याय की मशाल जलाकर अंधकार की शक्तियों से निरंतर लड़ती रहती है। इसके लिए आवश्यक है देश के स्मृतियों की बहुमूल्य विरासत का सामान्य अधिकार तथा वर्तमान काल में वास्तविक असहमति एक साथ रहने की इच्छा तथा अविकसित विरासत जो हमारे पूर्वजों नें हमें सौंपी है उसे क़ायम रखने की प्रबल इच्छा का होना नितांत आवश्यक है।

एक व्यक्ति की भाँति राष्ट्र भूतकाल में लोगों के द्वारा किए गये सतत् प्रयत्न त्याग और देश भक्ति का परिणाम है, वह इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि यह देश हज़ारों वर्षों से अपने इस संस्कृति समरसता एवं विशिष्टता के कारण ही संगठित है यह संकलन सांस्कृतिक रूप से अधिक गुँथा हुआ है।इसी आधार पर मेरा कहना है कि यह प्रायद्वीप को छोड़ कर संसार का कोई भी देश ऐसा ऐसा नहीं है जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो हम केवल भौगोलिक दृष्टि से ही सुगंधित नहीं है बल्कि हमारी सुनिश्चित संस्कृति एकता भी अविच्छिन्न और अटूट है जो पूरे देश में चारों दिशाओं में व्याप्त हैं, इस परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि प्रथम तो भारत एक राष्ट्र नहीं है यह सुनना हिंदुओं के लिए शर्म की बात है दूसरा यह कि स्वराज प्राप्ति का अधिकार राष्ट्र को ही है इसलिए हिन्दुओं ने भारत को सदैव एक राष्ट्र की संज्ञा दी है उपरोक्त विचारों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर महान राष्ट्रवादी नेता थे राष्ट्रवाद उनके भीतर कूट कूट के भरा था इसी प्रकार उनके संदर्भ में राष्ट्रवाद के जितने भी प्रश्न हैं चाहे संस्कृति का रहा हो, चाहे वह भगवा ध्वज का हो या सामाजिक समरसता का हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, सभी पर उनकी दृष्टि स्पष्ट एवं मुखर रही है। अम्बेडकर जी की छवि को ब्राह्मण विरोधी छवि के रूप में भी प्रस्तुति कर दी गई थी पर ऐसी कोई भी बात नहीं। यद्यपि वो हर व्यक्तिगत एवं सामाजिक रूप से अधिक प्रहार किए गए फिर भी उन्होने ब्राह्मण की आलोचना न करके ब्राह्मणवाद को निशाना बनाया उनका विरोध ब्राह्मणों का न होकर ब्राह्मणवाद से था। इसी प्रकार वह राष्ट्रहित के संदर्भ में दलित वर्गों को सदैव मुसलमानों से सतर्क रहने की सलाह देते थे। डॉक्टर अम्बेडकर की मूल भावना स्पष्ट रूप से मुसलमानों से सर्व समाज को सतर्क रहने की सलाह देते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने का अर्थ था भारत की सांस्कृतिक मिट्टी से दूर होना मैं ऐसा कदापि नहीं उनकी दृष्टि इतनी थी कि यदि मैं ईसाई बनता हूँ तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग इस ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा, तथा यदि मैं मुसलमान बनता हूँ तो वह भी स्थिति आने वाली है। अतः उस परिस्थिति के निवारण के लिए कुछ प्रभावी क़दम उठाना ज़रूरी है, ऐसा सोच समझ करके उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करना ज़्यादा श्रेष्ठ समझा ताकि हिन्दू समाज का कम से कम अहित हो। एक समारोह में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से मेरा मतभेद था फिर भी मैंने उन्हें एक वचन दिया था कि समय आने पर इस देश में न्यूनतम क्षति का मार्ग अपनाऊँगा, अब बौद्ध धर्म अपनाकर मैंने अपना वचन पालन किया है। देश के लिए यह मेरी सेवा है। डाक्टर अम्बेडकर कहते है बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति का ही अविभाज्य अंग है मतांतरण करने से इस देश की संस्कृति इतिहास एवं परंपरा को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचे और मैंने समस्त सावधानियां बरती है। इससे स्पष्ट है कि उनका संकेत हिंदुत्व की ओर है उन्होंने एक अन्य स्थान पर कहा है कि एक समय

आएगा कि इतिहास मुझे इन दो समाज का सबसे बड़ा उपकारक मानेगा हैदराबाद का निजाम करोड़ों रुपया संग लेकर उनके पास आया था जिसे डॉक्टर साहब ने क़तई स्वीकार नहीं किया, बड़े–बड़े ईसाई मिशनरी भी पीछे पड़े ईसाई धर्म को अपनाने दलितों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ मिल सकेगी और आर्थिक प्रलोभन भी दिया पर डॉक्टर अम्बेडकर का ध्यान क़तई नहीं था। राष्ट्रपुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हिंदुत्व की विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए तो बाबा साहब कांग्रेस से ज़्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के निकट थे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संदर्भ में कहा कि संघ वालों जल्दी करो आप कार्य तो बहुत ठीक कर रहें है लेकिन कार्य की प्रगति धीमी है, मेरा समाज इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता है।

मैं कम्युनिष्ट को बिलकुल नहीं चाहता ध्यान रखो कि अनुसूचित जातियों एवं कम्युनिज्म के बीच अम्बेडकर अवरोध है और कम्युनिज्म के बीच गोलवलकर जी अवरोध हैं। वे छुआछूत को हिंदू समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझते थे उनके स्पष्ट दृष्टि थी कि हिन्दू समाज में स्वर्ण और अस्वर्ण की धारणा समाप्त होनी चाहिए। जब भारत वर्ष की सभी जातियां संगठित होगी तभी हिंदू समाज मज़बूत होगा। 25 दिसम्बर 1928 को महाड़ में हुई सभा में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि यदि हम इस आंदोलन में सभी हिंदुओं को एक जाति में संगठित करने में सफल होते हैं तो हम भारतीय राष्ट्र ख़ास कर हिन्दू समाज की सबसे बड़ी सेवा करेंगे।

सन 1935 तक जो पत्र उन्होंने लिखे हैं उस पर वह "जय भवानी" अवश्य लिखते थे अपने लेखों में रामायण, महाभारत ,राम चरित मानस आदि हिंदू ग्रंथों का उदाहरण वह देते थे।

डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन दर्शन ही हिंदुत्व में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने में बीता है, वह चाहते थे कि देश में हिंदुत्व आधारित ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ कोई ऊँच नीच का भाव ना हो, इसका प्रमाण है कि उन्होंने कभी भी अलग से मंदिर अलग तालाब खुदवाने वाली वकालत नहीं की तभी तो पूर्व निर्मित मंदिरों एवं तलाबों के उपयोग के लिए संघर्ष किया। उनका स्पष्ट मानना था कि देश में रहने वाले सब हिंदू है फिर एक दूसरे से भेदभाव कैसा। एक स्थान पर डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करने के लिए उन सभी को अनुमति होनी चाहिए जो पूजा करना चाहते हैं इसमें किसी प्रकार का भेदभाव प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हम अस्पृश्यओ के लिए अलग मंदिर वाले भी का विरोध करते हैं। हिंदुत्व की दृष्टि तथा सफलता के लिए सपृश्य और अस्पृश्य दोनों ने ही अपने बलिदान किये हैं इसलिए जाति पाति का विचार किए बिना सभी हिन्दुओं के लिए उनके दरवाज़े खोल देने चाहिए। सपृश्य भी उतने ही निष्ठावान हिंदू है जितने की ब्राह्मण या कोई अन्य हिंदू ।एक स्थान पर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हिंदुओं द्वारा चाहे कितने भी मुसीबतें क्यों न डाली जाए परन्तु मैं हिंदू धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूँ ।

उनका मानना था कि जब तक जाति प्रथा रहेगी तब तक हिंदुओं में संगठन नहीं होगा हिन्दू कमज़ोर ही रहेगा ।हिन्दू कौन है इस विषय पर डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि इस देश में पैदा हुआ सभी संप्रदाय यथा वैदिक, शैव, सिख, जैन सभी क़ानून की दृष्टि से हिंदू मानें जाना चाहिए तथा सभी पर एक ही क़ानून लागू होना चाहिए। अपनी पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर चिंतन पर ब्रिस्टल लिखते हैं भारत में वैदिक बौद्ध जैन सिख आज भी धर्म मत हुए उन्होंने अपने लिए स्वतंत्र क़ानून अथवा धर्मशास्त्र की रचना नहीं की क़ानून की नई संहिता नहीं बनायी ना बुद्ध ने ना महावीर नें मेरी जानकारी के अनुसार सिखों के धर्मगुरुओं ने भी कोई नयी संहिता या स्मृति नहीं तैयार की। संविधान के अनुच्छेद 25 में और नई बात क्या की है।

डॉक्टर अम्बेडकर कम्युनिस्टों की तरह धर्म को अफ़ीम नहीं समझते थे वह कम्युनिस्ट की इस विचारधारा के विरोधी थे कि धर्म अफ़ीम का नाता है इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि तरुणों की धर्म विरोधी प्रवृत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख होता है वो लोग कहते हैं कि धर्म अफ़ीम की गोली है परंतु यह सही नहीं है। मेरे अंदर जो अच्छे गुण है वह मेरी शिक्षा के कारण समाजहित में जो हमनें किए हैं वे मुझे विद्वान धार्मिक भावना के कारण ही है। मुझे धर्म चाहिए पर धर्म के नाम पर चलने वाला पाखंड नहीं चाहिए। हाँ इतना ज़रूर है कि वह हरिजन शब्द के विरोधी थे वह अच्छा नहीं समझते थे हरिजन शब्द का प्रयोग किसी के लिए किया जाए।

डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक समरसता से युक्त सशक्त राष्ट्र के समर्थक थे उन्होंने दिल्ली में कहा हम सब भारतीय परस्पर सगे भाई हैं ऐसे भावना अपेक्षित है आज उसी भावों का अभाव हैं यदि राष्ट्र के ऊँचे आसान तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें इस अवरोध को दूर करना होगा तभी बधु भाव पनपेगा।

बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जितना लिखा जाए वो कम है पर बेहद दुःख है कि कांग्रेस नें संविधान के नाम पर आम जन को छलनें का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नें बाबा साहब को भारत रत्न पंचतीर्थ भीम–एप उनके नाम पर डाक टिकट, संविधान गौरव दिवस सहित अनेको सम्मान देने का कार्य किया ।

'अटल' आदर्श

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं....लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं... कितने गूढ़ हैं। अटल जी, कूच से नहीं डरे... उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वो ये भी कहते थे... जीवन बंजारों का डेरा आज यहां, कल कहां कूच है.. कौन जानता किधर सवेरा... आज अगर वो हमारे बीच होते, तो वो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं को दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था... और जोर से पीठ में धौल जमा हरी थी। हो स्नेह... वो अपनत्व... वो प्रेम... मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। आज 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके रोगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है।

21वीं सती को भारत वी सहरी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस गैर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगें को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने, देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। भारत को नव विकास की गारंटी ही हो ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। चो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे।

उनकी सरकार नेदेश को आईटी, टेलीकम्यूनिकेशन और दूरसंचार वी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही, एनडीए ने टेक्नॉलजी को सामान्य मानवी की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर–दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किये गए। वाजपेयी जी वी सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज रोजना ने भारत के महानगों वो एक सूत्र में जोड़ा को आज भी लोगें की स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एनडीए गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासन काल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने ना सिर्फ आर्थिक प्रगति वो नई शक्ति ही, बल्कि दूर–दराज के क्षेत्रों वो एक दूसरे से जोड़कर भारत वी एकता को भी सशक्त किया।

जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर शेता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता भानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। हो चाहते थे भारत के वर्ग, यानी ओटीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने। उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई–भरीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस गैर वी सरकार के समय में जो नीतियां बीं, उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानवी के जीवन को बदलना ही रहा।

उनकी सरकार के कई ऐसे अद्‌भुत और साहसी उदाहरण हैं, जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते है। देश को अब भी 11 मई 1998 का हो गैरव दिवस याद है, एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोकरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे **'ऑपरेशन शक्ति'** का नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनियाभर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगे। इस बीच कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन तब की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। 11 मई वो हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था। लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है, जो एक अलग मिट्टी से बना है।

उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, कि ये पुराना भारत नहीं है।

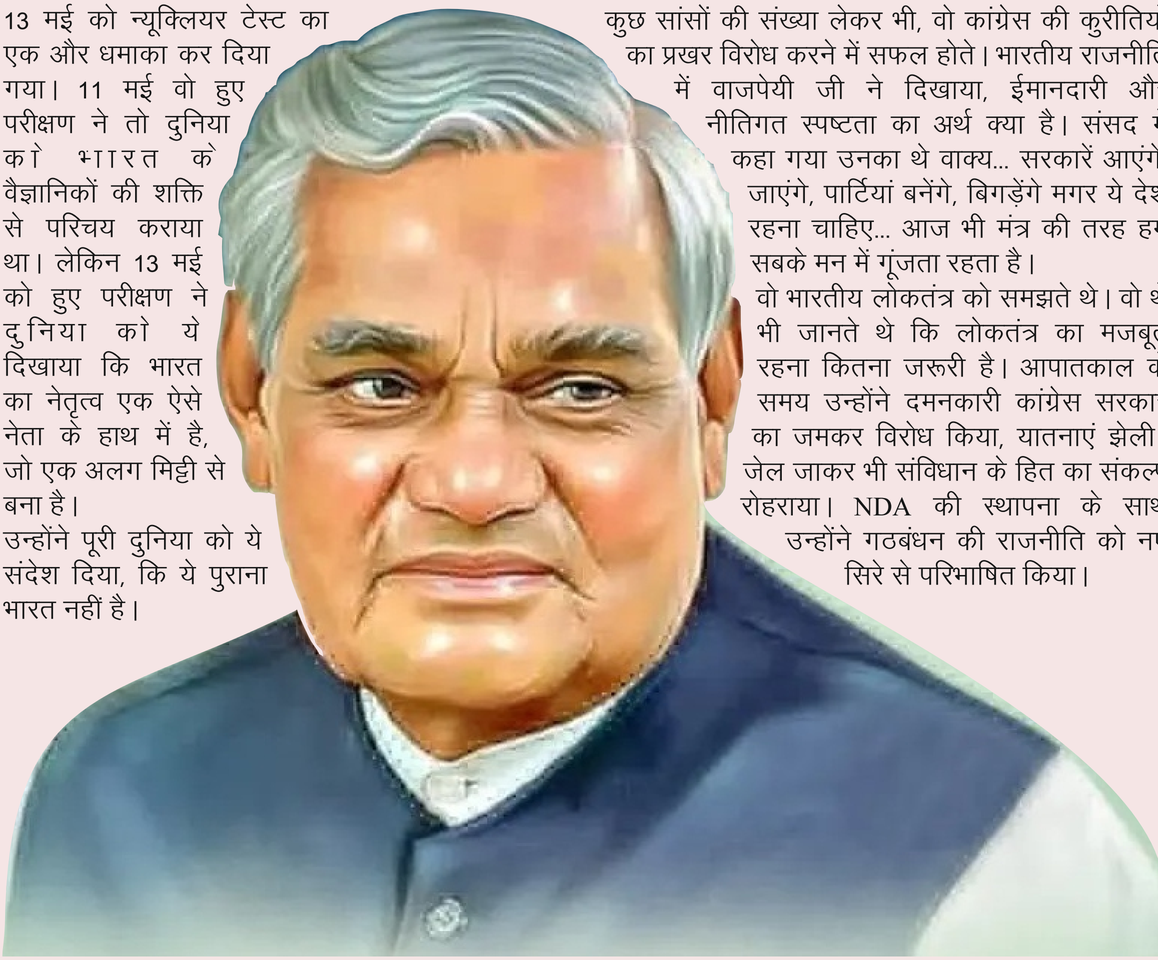

पूरी दुनिया जान चुकी थी, कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस परमाणु परीक्षण की वजह से देश पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन देश ने सबका मुकाबला किया।

वाजपेयी सरकार के शासन काल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आई। करगिल युद्ध का गैर आया। संसद पर आतंकियों ने कायरना प्रहार किया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदलीं, लेकिन हर स्थिति में अटल जी के लिए भारत और भारत का हित सर्वोपरि रहा।

जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वो लोगें वो अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने वी कला का कोई सानी नहीं था। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। किोधी भी वाजपेरी जी के भाषणों के मुीद थे। युवा सांसों के लिए वो चर्चाएं सीखने का माध्यम बनीं।

कुछ सांसों की संख्या लेकर भी, वो कांग्रेस की कुरीतियों का प्रखर विरोध करने में सफल होते। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया, ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या है। संसद में कहा गया उनका थे वाक्य... सरकारें आएंगे, जाएंगे, पार्टियां बनेंगे, बिगड़ेंगे मगर ये देश रहना चाहिए... आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता रहता है।

वो भारतीय लोकतंत्र को समझते थे। वो थे भी जानते थे कि लोकतंत्र का मजबूत रहना कितना जरूरी है। आपातकाल के समय उन्होंने दमनकारी कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया, यातनाएं झेली। जेल जाकर भी संविधान के हित का संकल्प रोहराया। NDA की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया।

वो अनेक दलों को साथ लाए और NDA को विकास, देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनाया।

पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब हमेशा बेहतरीन तरीके से दिया। वो ज्यादातर समय विपक्षी दल में रहे, लेकिन नीतियों का विरोध शब्दों से किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था,

उसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।

उन में सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़–तोड़ की राजनीति ना चुनकर, इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक टोट के अंतर के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई लोगों ने उनसे इस तरह की अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन पीएम अटल बिहारी वाजपेरी शुचिता की राजनीति पर चले। अगले चुनाव में उन्होंने मजबूत जनादेश के साथ वापसी की। संविधान के मूल्य संरक्षण में भी, उनके जैसा कोई नहीं था। डॉ. श्यामा प्रसाद के निधन का उनपर बहुत प्रभाव पड़ा था। हो आपात के खिलाफ लड़ाई का भी बड़ा चेहरा बने। इमरजेंसी केबाद 1977 के चुनाव से पहले उन्होंने 'जनसंघ' का जनता पार्टी में विलय करने पर भी सहमति जता ही। मैं जानता हूं कि थे निर्णय सहज नहीं रहा होगा, लेकिन वाजपेरी जी के लिए हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता वी तरह दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा, संविधान था।

हम सब जानते हैं, अटल जी को भारतीय संस्कृति से भी बहुत लगाव था। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का अवसर आया, तो उन्होंने अपनी हिंटी से पूरे देश को खुद से जोड़ा। पहली बार किसी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात कही। उन्होंने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने सामान्य भारतीय की भाषा को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंचाया। राजनीतिक जीवन में होने के बाद भी, हो साहित्य और अभिव्यक्ति से जुड़े रहे। वो एक ऐसे कवि और लेखक थे, जिनके शब्द हर विपीत स्थिति में व्यक्ति को आशा और नव सृजन की प्रेरणा देते थे। हो हर उम्र के भारतीय के प्रिय थे। हर वर्ग के अपने थे।

भेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। अगर आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका श्रेय उस अटल आधार को है, जिस पर ये दृढ़ संगठन खड़ा है।

उन्होंने बीजेपी की नींव तब रखी, जब कांग्रेस जैसी पार्टी का विकल्प बनना आसान नहीं था। उनका नेतृत्व, उनकी राजनीतिक दक्षता, साहस और लोकतंत्र के प्रति उनके अगाध समर्पण ने बीजेपी को भारत की लोकप्रिय पार्टी के रूप में प्रशस्त किया। श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोरी जैसे दिग्गजों के साथ, उन्होंने पार्टी को अनेक चुनौतियों से निकालकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया।

जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थितियां आई, उन्होंने इस चुनाव में विचारधारा को खुले मन से चुन लिया। वो देश को ये समझाने में सफल हुए कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव है। ऐसा दृष्टिकोण वास्तव में परिणाम दे सकता है।

आज उनका रोपित बीज, एक वटवृक्ष बनकर राष्ट्र सेवा की नव पीढ़ी को रच रहा है। अटल जी की 100वीं जयंती, भारत में सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए हम सब इस अवसर पर, उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जो सुशासन, एकता और गति के अटल सिद्धांतों का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही, हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करनें वी प्रेरणा देते रहेंगे।

सुराज की विचार यात्रा
वर्तमान कमल ज्योति
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
क्लिक करें और पढ़ें।
https://up.bjp.org/kamal-jyoti
www.up.bjp.org
#कमलज्योति
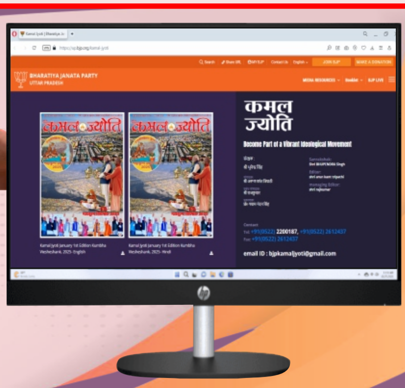

पता – भाजपा कार्यालय, 7–विधानसभा मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ– 226001

संविधान
गौरव अभियान

संविधान

संविधान गौरव अभियान

गणतंत्र
दिवस

गणतंत्र
दिवस

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2024-26
जनवरी द्वितीय संविधान गौरव विशेषांक 2025 –प्रेषित डाकघर –R.M.S. चारबाग, लखनऊ –प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।